Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र 1967 का दूसरा दिवस संख्या 3

बृहस्पतिवार,

दिनाङ्क 4 मई, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 9.57 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की मेज पर रखी गई राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति।

सचिव, विधान सभा (श्री मोहननाथ मोदी): महोदय, मैं आज दिनांक 4 मई, 1967 को दिये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

स्वर्गीय महाराजा श्री हरिश्चन्द्रजी एवं श्री भानुप्रसादजी कराड़ियां के प्रति श्रद्धांजलियां।

श्री अध्यक्ष : राज राणा महाराजा हरिश्चन्द्रजी एवं भानुप्रसादजी कराड़िया के निधन पर शोक प्रस्ताव।

इस अवसर पर मैं सत्र के प्रारम्भ ही में महाराजा हरिश्चन्द्रजी के निधन पर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा हूं जो निश्चय ही वेदनापूर्ण है। महाराजा हरिश्चन्द्रजी सन् 1957 के आम चुनावों में विधान सभा के लिये झालावाड़ क्षेत्र से निर्वाचित हुए। सन् 1962 में पाटन से निर्वाचित हुए और 1967 में खानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये चुने गये। आपका जन्म सन् 1921 में इंगलैंड में हुआ और वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वैदेशिक सेवाओं में सन् 1943 से सन् 1955 तक महाराजा रहे और दुर्भाग्य का विषय है कि 17 मार्च को महाराजा हरिश्चन्द्रजी का हृदय रोग के कारण आकस्मिक निधन हुआ। इस अवसर पर, जैसा माननीय सदस्य अनुभव कर रहे होंगे, उनका अभाव सदन में बहुत ही अखरने वाला है। राजवंश में उत्पन्न होने और पोषित होने पर भी महाराजा हरिश्चन्द्रजी प्रजातान्त्रिक पद्धति में घुल मिल गये। कि यह आश्चर्य किया जाता रहा कि एक सामान्य स्तर के व्यक्ति के साथ साथ सामान्य धरा पर खड़े होकर एक अच्छे साथी के रूप में उन्होंने ख्याति पाई।

(10 म० पू०)

राजकीय मन्त्री-मण्डल में वे रहे एक अर्से तक और वहां पर भी मन्त्रित्व, प्रशासनिक क्षमता और दक्षता के आधार पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की। अच्छे वक्ता के रूप में महाराजा हरिश्चन्द्र, सरल और सजीव सज्जन भाव के महाराजा हरिश्चन्द्र, सभी के मित्रों के मित्र और विरोधियों के भी सुहृद, उनका

Page No.2

(श्री अध्यक्ष)
जीवन सरल है सरल। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि महाराजा हरिश्चन्द्र का व्यक्तित्व इस सदन में सभी के लिए समान–भाव का रहा। उनकी क्षति से समाज की क्षति, उनकी क्षति से राजनैतिक क्षेत्रों की भी क्षति और उनके मित्रों की भी जो उनसे बहुत घनिष्टता रखते थे उनकी भी अपार क्षति। मैं इस मौके पर यह महसूस करता हुआ कि सदन उनके निधन से व्यथित है, अपने इन उद्‌गारों के साथ साथ ही माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट के लिये मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(दो मिनट के लिये सदन ने खड़े होकर मौन श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

दूसरा शोक प्रस्ताव स्वर्गीय श्री भानु–प्रसाद कराड़िया के लिये है जो कि तृतीय राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। उनका देहान्त 12 जनवरी, 67 को हो गया। वे चौमू क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। श्री कराड़िया विधान सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के भी सदस्य रह चुके हैं। उनका सदन के सभी सदस्यों के साथ मैत्री भाव होने से वे अधिक प्रिय थे।

मैं पुन: निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि दो मिनट के लिए मौन खड़े हों और दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(दो मिनट के लिये सदन ने खड़े होकर मौन श्रद्धान्जलि अर्पित की)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

दोनों ही प्रस्ताव उनके कुटुम्बों को भेज दिये जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव भेजा है मैंने आपके पास।

श्री अध्यक्ष : वह अभी अभी कुछ एक डेढ़ मिनट पहले मिला था।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो बीस मिनट पहले भेजा था। आपको डेढ़ मिनिट पहले मिला हो, इसमें सेक्रेटेरियट की गलती हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : सेक्रेटेरियट की गलती नहीं है। माननीय सदस्य मेरे पास यहां आने के पूर्व डेढ़ नहीं तो दो मिनिट पूर्व व्यक्तिगत मुझ को ही दे देते। सेक्रेटेरियट का प्रश्न नहीं आता इसमें।

श्री भैरोंसिंह : मैंने प्रस्ताव भेजा उसके लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसको इन्फोर्मेशन मुझे नहीं है। मैं चेम्बर में जाकर तलाश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपके जाने के बाद में वह चेम्बर में आवेगा। और सदस्यों ने भी प्रस्ताव भेजे हैं। उस सम्बन्ध में आप कहना चाहें तो कह दें।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास में प्रस्ताव अभी नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : जो आया है उसके सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : कल निर्णय दे दिया जावेगा।

Page No.3

श्री भैरोंसिंह : निर्णय तो कल कैसे होगा ऐसे प्रश्न पर।

श्री अध्यक्ष : आज की सूची में यह प्रस्ताव थे। इसलिये उनको ले लिया और इस सम्बन्ध में कल लिया जावे या नहीं मैं इस पर विचार करके कल की सूची में रखाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने फरमाया वह तो ठीक है। इस सम्बन्ध की औपचारिक बैठक एक ही काम के लिये आज के लिये खास तौर से निर्धारित की थी कि जो सदस्य चले गये उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जावे और इसके साथ साथ लोकतन्त्र की रक्षा के हेतु जो भी शहीद हुए हैं उनके प्रति भी किसी प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित करें इसके लिये यह दिन निश्चित किया गया था।

कल तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद होगा और इस वाद-विवाद के समय कोई श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात आती है तो वह वैसे भी अनुपयुक्त होगी। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस पर आज ही विचार किया जाय। माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं भी इसे स्वीकार करेंगे। आपने स्वयं ने भी एक वक्तव्य में इन शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट की है, उनकी आत्मा को भी इनके निधन से गहरा आघात लगा है, गहरी चोट पहुंची है। इस प्रकार का उनका वक्तव्य अखबारों में, समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। जिन लोगों पर गोलियां चलीं और जो उन गोलियों के शिकार हुए उनके प्रति उन्होंने गहरी संवेदना प्रकट की है। इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने भी संवेदना प्रकट की है।

तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यही उपयुक्त अवसर है जिस समय उन व्यक्तियों के लिये भी, जिन्होंने लोकतन्त्र की रक्षार्थ अपने प्राणों की बाजी लगाई है उनको हम नहीं भूलें और नहीं भूलने का सब से बड़ा प्रमाण यही हो सकता है कि यह सदन सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस गोलीकाण्ड में अपने प्राणों की बाजी लगाई है उसमें उनका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं था, उनको स्वयं को इस विधान सभा में नहीं बैठना था, कोई पद नहीं लेना था। मुख्यमन्त्री की कुर्सी की उनको कोई भूख नहीं थी, कोई कोटा परमिट और लाइसेन्स नहीं लेना था। उन्होंने अपने प्राणों की बाजी केवल इसलिए लगाई कि जिस लोकतंत्र की हत्या राजस्थान में आज सरकारी पक्ष सत्ता के बल पर कर रहा है उससे उसको बचाया जावे। लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिए उसकी नींव को अपने प्राणों की बाजी लगा कर अपने खून से सिंचित किया। उस लोकतन्त्र की प्राण ज्योति को बुझने नहीं दिया। खुद बुझ करके उसको जीवित रक्खा, खुद बुझ गए पर उसे बुझने से बचा लिया। उनको यदि यह सदन भुलाकर चलता है तो समझता हूं यह उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिये निवेदन करूंगा कि आज उसके लिए अवसर है। जिस प्रकार इन दो दिवंगत आत्माओं के लिए हमने अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की है, वैसे ही इनके प्रति भी अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पित करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह मामला अदालत में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : उनके दल के नेता बोल रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जहां तक शोक प्रस्ताव का सम्बन्ध है आपकी तरफ से जो व्यवस्था दी गई, वह सर्व मान्य है। किन्तु इस सदन की परम्परा यह रही है कि अगर कोई सदन के माननीय सदस्य का निधन हो तो सदन के नेता के द्वारा प्रस्ताव के रूप में वे अपने विचार व्यक्त करते हैं। और फिर दूसरे भी व्यक्ति विरोधी पक्ष से, पार्टियों के नेता लोग, वे भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूं कि महाराजा हरिश्चन्द्रजी और श्री भानुप्रसादजी कराड़िया ये दोनों ही सदन के सदस्य थे। उनके सम्बन्ध में अगर सदन के नेता के द्वारा प्रस्ताव के रूप में दो शब्द कहे जाते तो विशेष उपयुक्त होता। खैर।

ऐसा अगर नहीं किया गया तो आपने जो कुछ भी व्यवस्था दी है, आपने इस सम्बन्ध में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं वे सर्व-मान्य हैं। किन्तु इससे मुझे सन्तोष नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी सूचनार्थ यह निवेदन कर दूं कि मैं उसको अभी भी ओपिन रखता हूं I am not rigid about it.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : You can do what you like. But I think, there is a definite departure from the practice and I don't like it. खैर, जो कुछ हो वह ठीक है। आपके द्वारा जो भी व्यवस्था है उसके लिए मुझे आपत्ति प्रकट नहीं करनी है। मुझे तो अपना असंतोष अवश्य प्रकट करना है।

माननीय सदस्य जो किशनपोल से आये हैं उन्होंने एक सीधा साधा सा प्रश्न का प्रस्ताव के रूप में आपको नोटिस दिया है और सम्भव है कि उसकी सूचना आपको अभी ही मिली हो। इस सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था देने में कुछ समय चाहते हों, यह स्वभाविक है। किन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रहता कि यह तो बिल्कुल अनकन्ट्रोवर्शल इश्यू है और उधर के और इधर के माननीय सदस्यों की कोई समस्या ही नहीं है। अगर यहाँ पर गोली के द्वारा अमुक व्यक्ति हताहत होते हैं तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के दौरान में जो कुछ भी भावनायें हमको व्यक्त करनी होंगी वह हम व्यक्त करेंगे लेकिन एक शोक प्रस्ताव सीधा साधा शोक प्रस्ताव के रूप में अगर सदन के समक्ष माननीय सदस्य के द्वारा लाया जाता है तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस सम्बन्ध में आपको क्या आपत्ति है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम अभी विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने झालावाड़ के महाराजा साहब और हमारे सदन के एक लम्बे अर्से से जो सदस्य थे उनके आकस्मिक देहावसान के ऊपर अपने विचार प्रकट किये। उसके संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं स्वयं यहां यही समझकर आया था कि मैं इस रेफरेन्स की शुरूआत करूंगा और पहले की परम्पराओं के अनुसार होगा। लेकिन शासन के द्वारा जब रेफरेन्स किया गया तो मैं समझा कि सब की तरफ से यह किया जा रहा है यह मानकर ही मैं मौन रहा। मेरे दिल में कहीं यह प्रश्न नहीं था कि मैं अपनी तरफ से इसका रेफरेन्स नहीं करूं ...

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : ऐसा नहीं होगा। किन्तु मैंने जो मेरे विचार थे वह इस कारण व्यक्त किये कि एक सही परम्परा यहां स्थापित हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि अध्यक्ष महोदय आपने इसको अभी मोविंग रखा है इसलिए झालावाड़ के महाराजा साहब सन् 57 से इस सदन के····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो चेयर की तरफ से सब कुछ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस मसले को रिलेक्स करता हूं, इसमें कोई विधि नियमों की बात नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : भावनायें हैं····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय विरोधी पक्ष के नेता से मैं कहूंगा····

श्री भैरोंसिंह : लेकिन इस तरह से करके मजाक नहीं किया जा सकता....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज़।

मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि यदि इस संबंध में कोई भावनायें व्यक्त की जा रही हों तो नियमों के प्रश्न पर इतना आग्रह नहीं होना चाहिए। मुख्यत इस प्रश्न पर जो कि पहले ही नाजुक और वेदनामय प्रश्न है जिस पर विरोधी दल के नेता ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। और दूसरे प्रश्न पर आप थोड़ा भी विरोध करें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उनके निधन पर जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि सभी को शोक है, व्यथा है। मैं आपसे सहयोग की आशा करता हूं। अगर कोई भावना प्रकट की जाती है तो उसका विरोध नहीं करें तो अच्छा हो।

श्री भैरोंसिंह : विरोध का सवाल नहीं है। जैसा अभी माननीय नेता ने बताया कि सदन की परम्परा इस प्रकार की रही है कि इस प्रकार का श्रद्धांजलि का कोई भी प्रस्ताव सदन के नेता की तरफ से आता है। मैं समझता हूं कि 52 से 67 तक मैंने ऐसा प्रस्ताव कोई नहीं देखा जो कि प्रस्ताव सीधे चेयर की तरफ से मूव किया गया हो। यह पहला ही अवसर है। और यह समझ में नहीं आता कि यह अवसर झालावाड़ के महाराजा की मृत्यु के ऊपर क्यों पैदा हुआ। इसलिए मुझे दुःख है। अगर इसी कारण से चेयर की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और इसी कारण से सदन के नेता ने प्रस्ताव नहीं रखा कि वह महाराजा थे और वह कांग्रेस से विरोधी दल में आ गये और उनकी कुछ ऐसे समय में मृत्यु हुई जिस समय को लेकर राजस्थान की राजनीति का इतिहास बनता है····

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मोटिव्ह को नहीं भूलें।

श्री भैरोंसिंह : यह बहुत बड़ा लेप्स है और इसको किसी तरह से भी एनकरेज नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी भावना व्यक्त की और मैं विरोधी दल से भी अपेक्षा करता था कि वह भी बोलेंगे। अब प्रश्न रहा कि पहले मैंने रख दिया लेकिन दूसरी तरफ से

(श्री अध्यक्ष)
नहीं रखा गया। मैं आशा रखता था कि उधर के माननीय सदस्य कुछ बोलने वाले हैं लेकिन जब मैंने मौन देखा तो मैं बैठ गया।

श्री भैरोंसिंह : बोलने के लिए मुख्य मंत्री जी का मुंह देखिये फिर हमारा नम्बर आता है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए यह प्रश्न इस तरह का है जिसके ऊपर मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह सदस्यों के लिए छोड़ दें। जो भी माननीय सदस्य चाहें अपनी भावनायें इस प्रश्न पर व्यक्त करें और मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को दूसरे प्रस्तावों की तरह से नहीं लिया जावे तो अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें विरोध का प्रश्न नहीं है। इस समय तो जो प्रश्न आपके सामने उपस्थित हुआ था वह यह था कि माननीय भैरोंसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है और हम लोगों ने भी जो प्रस्ताव आपके पास भेजा है 7 मार्च को जयपुर में जो दुखद गोली काण्ड हुआ....

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्न महाराजा हरिश्चन्द्र के ऊपर चल रहा है और उसको बाद में ले लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहला जो प्रस्ताव है यदि आप उस पर समय देना चाहें तो हमें उसमें आपत्ति नहीं होगी। परन्तु इस गोली काण्ड वाले प्रस्ताव के बारे में आप अपनी व्यवस्था अवश्य दें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे आप अवाइड करने की दृष्टि से पहले प्रश्न को और उत्पन्न कर रहे हैं और हम आशा करते थे व जैसा इस प्रस्ताव के बारे में हम समझते थे कि इस सदन के नेता द्वारा वह प्रस्ताव रखा जायेगा उसी प्रकार से इस गोली काण्ड के बारे में हमें अपेक्षा थी कि गोली काण्ड के बारे में भी प्रस्ताव सदन के नेता द्वारा रखा जायेगा और सामान्य एजेन्डा जो विधान सभा का आयेगा उसमें यह भी शामिल होगा। हमारी अपने कुछ मित्रों से इस पर चर्चा भी हुई कि हम लोग इसके बारे में प्रस्ताव भेजें लेकिन हमारे साथियों ने यह आशा व्यक्त की थी कि सरकार की ओर से ऐसा प्रस्ताव शायद आ देगा और जब आज एजेण्डा में इसको नहीं देखा तो हमें इस प्रस्ताव को यहां पर भेजना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा इस सदन में ही नहीं बल्कि दूसरे सदनों में भी लगातार रही है कि इस सदन ने अपनी संवेदनायें ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में न केवल सदन के सदस्यों के बारे में व्यक्त की हैं बल्कि ऐसी दुर्घटनाओं के संबन्ध में, महान व्यक्तित्व के संबंध में जो कि सदन के मेम्बर हों या नहीं हों उनके प्रति भी आपने श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं। महात्मा गांधी न तो किसी सदन के मेम्बर थे फिर भी यू. एन. ओ. के झण्डे उनके सम्मान में झुकाये गये थे। मैं समझता हूं कि इस गोली काण्ड के बारे में क्या करना था इसके बारे में दूसरी बात है, राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन यह घटना बहुत दुखद हुई है। इसके ऊपर सभी लोगों ने बहुत दुख प्रकट किया है। यह मैं समझता हूं कि इस सदन में सभी माननीय सदस्यों की भावना कम से कम जो व्यक्त की गयी हैं उस रूप से रही है इसलिए यह प्रस्ताव बिलकुल अन-कन्ट्रोवर्शल है और इस प्रकार का विषय जो राजनैतिक गतिविधियों का अंग होने के कारण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनका बहुत महत्व हो जाता है और इस सदन में कोई भी कार्यक्रम हाथ में लेने से पहले उन शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करें तो इससे ज्यादा हमारे लिए गलत बात नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उस प्रस्ताव को जो कि हम लोगों ने आपके पास भेजा है जिसमें श्रद्धांजलि व्यक्त की जानी चाहिए, उस पर आप व्यवस्था दें, आगे का कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व और फिर जैसा आप चाहते हैं पहला जो प्रस्ताव है उस पर माननीय सदस्य अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे तो हम अवश्य करना चाहेंगे, उनके लिए आप अवसर दें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अभी जिस प्रस्ताव की चर्चा हो रही है और जिसके विषय में आसन की ओर से कहा गया कि भैरोंसिंह जी ने प्रस्ताव नहीं दिया है और जिसके लिए आपने कहा कि वह नहीं मिला तो मैं निवेदन कर दूं कि मैं स्वयं आपके चेम्बर में देकर आया हूं। मेरे साथ मेरे अलावा श्री सतीशचन्द्रजी, रामानन्दजी

श्री अध्यक्ष : यह मैंने नहीं कहा कि आपका प्रस्ताव नहीं आया। आपका प्रस्ताव आ चुका है लेकिन चूंकि अभी वह कंसीडरेशन में है इसलिए अभी उसे नहीं लिया गया।

श्री नत्थीसिंह : विरोधी दल का जो सम्मिलित अंग है उन सबकी ओर से आपकी सेवा में वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और वह इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि आज के दिन जब यह विधान सभा की बैठक हो रही है और जिनकी वजह से आज इस विधान सभा को बैठने का दिन देखना पड़ा है, इसके लिए जो कुर्बानी इन शहीदों ने की है और आज यह विधान सभा के सदस्य तालिका में जाते हैं, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, हर कोई यह कहता है कि जिन लोगों ने उनके लिए कुर्बानी दी है, उन्होंने जनतंत्र को बचाने के लिए अपनी आहुति दी है, उसके कारण कौन थे, निमित्त कौन थे, उनके बारे में तो जांच आयोग है वह फैसला देगा, लेकिन यहां पर तो प्रश्न केवल भावनाओं का है। विरोधी दल के नेता ने जो पहले प्रस्ताव के विषय में कहा था वह इसी संदर्भ में कहा था कि पहले प्रस्ताव पर तो लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया गया है तो कम से कम इसी वक्त और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और जिस पर सदन के दोनों ओर के सदस्य अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं उनको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये और मैं समझता हूं कि इस वक्त तो जो सदन के नेता आज हैं, चाहे किसी रूप में हों, उन्होंने जितने बयान दिए हैं, अगर उनमें कोई सच्चाई है, उन्होंने कहा है कि उनके मन को बड़ी व्यथा पहुंची है, उनके मन को मर्मान्तक पीड़ा हुई है और एक बार तो उनके मन में कुर्सी का मोह त्याग कर वैराग्य पैदा हुआ था, तो इन सब में कोई सच्चाई है तो आज इतनी देर क्यों हो रही है। वे स्वयं निवेदन कर सकते हैं कि हम इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। जिस प्रकार इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह पक्ष आतुर है उसी तरह से कोई भी पक्ष आतुर हो सकता है। इसमें कोई भी वादविवाद का प्रश्न नहीं आता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को जिस रूप में पेश किया गया है या जिस रूप में लाया गया है उसी रूप में

(श्री नत्थीसिंह)

इस सदन में पेश किया जाय ताकि राजस्थान को दो करोड़ जनता जान सके कि राजस्थान में लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, लोकतंत्र की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी है उन्हें हम भूले नहीं हैं, हम उनके कृतज्ञ है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि आपने अभी ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। सदन के सामने दो प्रश्न है। मैंने यह नहीं निवेदन किया कि यह शहीदों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया है उसको नहीं लिया जाय, मैं इन दोनों प्रस्तावों को अलग अलग समझना चाहता हूं। पहला जो प्रस्ताव महाराजा हरिश्चन्द्र के सम्बन्ध में था उसके सम्बन्ध में भावनाओं की अभिव्यक्ति की जावे, इसलिए मैंने इसको सोपन रखा। और माननीय सदन के नेता इस पर बोलना चाह रहे हैं और मेरा विश्वास है कि कुछ माननीय सदस्य उस पर बोलना चाहेंगे।

दूसरा प्रश्न जो मैंने आपसे कहा है उसको इससे नहीं जोड़ा जाय। मैं अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं आया हूं कि इसको इन्कार ही किया जाय। यह मेरे दिमाग में नहीं है। प्रश्न सिर्फ जो पेचीदा है और जिस पर विचार करना चाहूंगा वह यह है कि अभी ज्युडिशियल इन्क्वायरी इस सम्बन्ध में हो रही है। ज्युडिशियल इन्क्वायरी के दर्मियान में जो डिबेट यहां पर होगी, मुझको आशंका है और मैं समझता हूं कि कुछ सीमायें जो इसके सम्बन्ध में होनी चाहिए, उन सीमाओं का यदि उल्लंघन करेंगे तो सब-ज्युडिस केस पर इसका प्रभाव सम्भवतः हो सकता है। इस लिए मैं कुछ सीमायें निर्धारित करने के लिये, इसे आज नहीं रखना चाहता था। इसको बाद में, सीमाओं में आबद्ध करके लाना चाहता था। यह आपके लिए भी हितकर होगा। कई माननीय सदस्य इस सदन के उस इन्क्वायरी कमेटी के डिफेंस कौंसिल की तरफ से, डिफेंस प्रोसीक्यूशन नहीं कहता, उसमें हैं। इसलिए मैं चाहता था कि कुछ सीमाओं को सामने रखते हुए यह प्रस्ताव आए। मैं जो इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहता था उसका अर्थ यह कभी नहीं है और न कोई दूसरा निर्णय देने की बात सोचता हूं। सीमाओं में बांध कर इस प्रश्न को रखना चाहता हूं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप सीमायें निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष : आज आप इस प्रश्न को रहने दें। मुझे इस पर विचार करने का मौका दें और जो पहला प्रस्ताव है महाराजा हरिश्चन्द्रजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का और जिस पर आप सभी अपनी भावनायें व्यक्त करना चाहते हैं और इस सदन के माननीय नेता भी अपनी भावनायें व्यक्त कर रहे हैं, उनको आप मौका दीजिए।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : जो भी व्यवस्था आसन देगा वह तो शिरोधार्य है, लेकिन कोई भी व्यवस्था देने से पूर्व सदस्य अपने विचार रखते है और जो कुछ चर्चा इस सदन के समक्ष होती है, उस चर्चा को आधार भूत मान कर यह आसन अपनी व्यवस्था देता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी एक प्रस्ताव जो स्वर्गीय राजा हरिश्चन्द्रजी के विषय में आया उस पर हमारे विरोधी पक्ष की ओर

Page No.9

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

में जो भावना व्यक्त की गई उसके प्रति आसन ने सद्भावना दिखाई और यह व्यवस्था दे दी कि इस पर सदस्य अपने विचार रखें और इस प्रकार इस प्रश्न को ओपन कर दिया। इसके लिए हम आसन को बहुत 2 बधाई और धन्यवाद देते हैं। इसी भावना की तरह एक और भावना का सम्मान करते हुए जिस प्रकार एक प्रस्ताव पास हो चुका और उसके ऊपर रिलेक्सेशन करके आसन ने जिस हृदय की भावना को व्यक्त किया है, उन्हीं तर्कों को प्रस्तुत करते हुए हम आसन का ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहते हैं कि अब सदन के सदस्य इतने आतुर हैं कि वह इन शहीदों के प्रति अपनी भावनाओं को इस सदन के सामने प्रस्तुत कर सकें, तो जैसा कि अभी आसन की ओर से व्यक्त किया गया कि मेटर सब-ज्युडिश है, ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो रही हैं इसीलिए सीमाओं को निर्धारित करना होगा और यदि इसके विपरीत कोई काम होता है तो सम्भवतः जो इन्क्वायरी चल रही है, उसको प्रभावित करने का प्रश्न हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसन इस बात को जानता है कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी का सबब क्या है, ज्युडिशियल इन्क्वायरी किस सिलसिले में हो रही है और यह जो प्रस्ताव आया है · · ·

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : दो मामले एक साथ कैसे जोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप, मेरा ख्याल है मुझे समझ नहीं पाये हैं। मैंने जो निवेदन किया वह यह था कि यह प्रश्न अभी मेरे चेम्बर का था, वहां पर ही इसका निर्णय किया जाना था। लेकिन चूंकि यह प्रश्न यहां पर आ गया इसलिए वाद विवाद चालू हो गया, अन्यथा इसको लिया जाय या नहीं लिया जाय, इस पर मैं निर्णय ले लेता तभी कुछ कह पाता। अभी यह प्रश्न मेरे पास है, यह सदन में नहीं आया है। इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को सदन के सामने व्यक्त किया कि यह प्रश्न यहां पर तय करने का नहीं है बल्कि मेरे चेम्बर में मैं आपसे विचार करके निर्णय करता कि इसको किस तरह से सदन के सामने लाया जाय और किन सीमाओं में इस पर विचार व्यक्त किये जायं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मेरा इस बारे में एक सुझाव है। कल आपका भाषण हुआ था उसमें आपने फरमाया था कि जब ऐसी परिस्थिति हो तो दोनों तरफ से ही मुझे मदद मिलेगी, इसकी अपेक्षा रखूंगा, ऐसा आपने फरमाया था। इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसके सम्बन्ध में अगर कोई भाव व्यक्त करें तो मैं उसका विरोध नहीं करता। पर साथ-साथ उसी के बराबर अगर सदन में इस तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव आगया है तो उसके साथ-साथ निर्णय ले लेंगे। आप फर्मा चुके हैं उसके बाद यह प्रस्ताव जो श्री भैरोंसिंहजी ने दिया है वह आज ही हो जाना चाहिए ताकि दोनों तरफ की जिद्द मात्र न हो। इसलिए आपकी तरफ से मैं समझता हूं कि इसको आगे नहीं बढ़ायेंगे और अगर ऐसी भावना है तो होना चाहिए।

दूसरा, भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन मैं इसलिए करता हूं कि आज भारतवर्ष में....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : On a point of order Sir, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी व्यवस्था इस विषय पर चाहूंगा कि क्या दोनों मामले साथ-साथ जोड़े जा सकते हैं। सदन के लिए यह अच्छी परम्परा नहीं होगी कि दोनों मामलों को जोड़कर उस पर निर्णय कराया जाय और भाषण शुरू कर दें।

श्री मदनसिंह दांता : भाषण नहीं सुझाव है। आज भारतवर्ष में यह सोचा जा रहा है और बड़े और छोटे को समान दिखाया जाता है, समानता, बड़े और छोटे का नक्शा हमारे पास है, लेकिन जनता यह जाने कि राजा और छोटे आदमी मर गये उसमें समानता है। मैं समझता हूं कि इस परम्परा को निभाया जाय। इसलिए जो भैरोंसिंहजी ने प्रस्ताव रखा है कि विधायक और वोटर में अन्तर नहीं होना चाहिए इसलिए इनको साथ-साथ ले लिया जाय। इसमें मैं समझता हूं कि आपका कुछ घटेगा नहीं, और यदि घटता है आपका कुछ तो हम आपके साथ हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सुझाव देना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि कुछ माननीय सदस्यों ने समझा है शहीदों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में। वह यहां हाउस में विचाराधीन होने के पहले मैं, कुछ माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के हैं उनको बुलाकर जैसी मैंने आशंका प्रकट की उनसे बातचीत करके निर्णय ले लूंगा। मेरा विश्वास है आप इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपने फर्माया कि इसमें केवल सीमा निर्धारित करनी है। यदि यही प्रश्न है कि सीमा निर्धारित करनी है तो 50 परसेन्ट मामला तो तब होगया कि इसका प्रस्ताव तो आयेगा, पर सीमा निर्धारित करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि यदि आपने जो विचार व्यक्त किये और उन विचारों को मैं ठीक तरह से समझा हूं तो ये दोनों पृथक प्रश्न हैं और दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। आपने यह भी विचार व्यक्त किया कि यह महाराज राणा हरिश्चन्द्र की तरह का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस वक्त आप यह विचार प्रकट करते हैं कि शोक-प्रस्ताव को सीमित कर सकते हैं, यह प्रश्न जब आपने रखा है इस बात से भी मैं बिल्कुल सहम हूं। रहा सवाल अब यह कि शहीदों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने कहा कि इस सम्बन्ध में आपको विचार करने की आवश्यकता है। आपने आपत्ति सदन के समक्ष रखी है कि यह सब–जुडिस मामला है, जुडिशियल एन्क्वायरी चल रही है। इससे मुझे पूर्ण सहानुभूति है, लेकिन हम आपसे क्या इतना भी नहीं चाह सकते कि शहीदों के सन्बन्ध में प्रस्ताव 4-5 बजे बतौर के रूप में रखा जाय आपको जो कुछ बातचीत करनी है आप करें, लेकिन इस सम्बन्ध में आपको क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आपको इस सम्बन्ध में आपत्ति है तो मेरे ख्याल में फिर जो एक व्यवस्था जो आसन के द्वारा होगी वह तो सर्व मान्य होगी ही लेकिन इस सम्बन्ध में आशंका तो रहेगी कि यह व्यवस्था पक्षपात से परे नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मोशन रखा था उसमें जो आप चेम्बर में मिलना चाहते थे तो उन्होंने

(श्री मूलचन्द डागा)

अपने विचार तो व्यक्त कर दिये। ऐसा मालूम हुआ है कि जो बात आप उनमें जानना चाहते थे मेरे ख्याल से अपना प्रोसीजर बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें यह है कि 'It shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India.' तो जो मामला विचाराधीन है उस पर विचार करना ही सम्भव नहीं है। मेरी समझ में जो आपने प्रस्ताव रखा है ये सारी बातें चेम्बर में करने के बाद आपका निर्णय होना था उसमें जो विचार व्यक्त नहीं करने थे वे विचार यहां पर व्यक्त किये हैं, और मैं समझता हूं कि यह प्रश्न है जो कि नहीं लिया जा सकता है क्योंकि कानून उसकी मनाही करता है। उस पर बोलना चाहते हैं और आपने मोशन एडमिट नहीं किया है उस हालत में यह प्रश्न ही नहीं रहता है।

श्री भैरोंसिंह : मोशन एडमिट हो गया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मोशन एडमिट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज़। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी इस प्रश्न पर प्रकाश डाला है, शोक-प्रस्ताव के रूप में शहीदों का यह प्रस्ताव, जिसके सम्बन्ध में मैंने अपनी मान्यताएं प्रकट की हैं उस आधार पर इसका समय और इसकी सीमा दोनों पर ही मैं इस पक्ष और उस पक्ष के सदस्यों को बुलाकर इस पर बातचीत कर लूंगा, जिसका अर्थ यह है कि मैं इसको शोक-प्रस्ताव के रूप में लेने का निर्णय लेता हूं। सीमाएं इसकी कानून और प्रोसीजर के अन्तर्गत और समय के सम्बन्ध में मेरा विश्वास है कि सीमाओं के प्रश्न पर जब विचार करेंगे तो स्वयं ही स्वतः इस बात को समझ जायेंगे कि कितना संकुचित दायरा है।

इसलिए मैं माननीय हाउस के नेता महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अध्यक्ष महोदय, गत 7 मार्च को····

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : क्रोकोडाइल्स टियर्स अच्छे नहीं लगेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : हमारे सदन के जो सन् 57 से बराबर सदस्य चले आरहे थे और जिन्हें मंत्रि मण्डल में भी एक लम्बे अर्से तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था उनका अचानक देहावसान होजाने से हम सब को काफी आघात् पहुंचा है। राजनैतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन राजा हरिश्चन्द्रजी ने इस सदन में सदस्य के तौर पर और मंत्री के तौर पर जिस उत्कट भावना से, लगन से राजस्थान की सेवा की है, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। राजा हरिश्चन्द्रजी राजा के घर में पैदा हुए, लेकिन मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि मैंने पच्चीसों अवसर ऐसे देखे हैं कि जब उन्होंने एक सामान्य जन के तौर पर लोगों के बीच में उठने, बैठने में, काम करने में अपने आपको घुला मिला दिया था और वे एक उत्साही व्यक्ति थे, लगन वाले व्यक्ति थे। जिस काम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
की तरफ उनका दिमाग लग जाता था पूरे तौर से उस काम को अन्जाम देने के लिए अपनी शक्ति लगा दिया करते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं उनका अभाव, राजनीति में कोई किसी पक्ष में बैठें, किसी विचारधारा को रखे, लेकिन राजस्थान के जन-जीवन में जो उनका महत्वपूर्ण योग था, आज भी खटकता है, और मैं समझता हूं कि भविष्य के अन्दर भी वह खटकने वाला होगा। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

महारावल लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता की भावनाओं का मैं समर्थन करता हूं। स्वर्गीय महाराज राणा हरिश्चन्द्रजी मेरे मित्र थे और उनको कई साल से नरेन्द्र-मण्डल के समय से मैं अच्छी तरह से जानता था वे सादगी पसन्द थे। वे बड़े उत्साही थे, और जिस चीज को वे अपने हाथ में लेते थे उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करते थे।

देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् उन्होंने विदेश विभाग में अपनी सेवायें अर्पित कीं। उसके बाद वह कांग्रेस दल में एक साधारण सदस्य के रूप में चुनाव जीत करके इस सदन में आये। उसके पश्चात् वह राजस्थान के मंत्रि-परिषद् के सदस्य भी रहे। उनका 17 मार्च को आकस्मिक निधन जो हुआ, जिस समय राजस्थान के अन्दर राष्ट्रपति शासन दुर्भाग्यवश लागू हुआ था इस दुःखद घटना के कारण मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति में एक गम्भीर परिवर्तन हुआ। मैं इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं करूंगा किन्तु महाराज राणा हरिश्चन्द्र जैसे व्यक्ति का राजस्थान की राजनीति से एकाएक उठ जाना एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं अपने दल की ओर से तथा मेरे व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना के साथ गम्भीर सम्वेदना प्रकट करता हूं।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया हमारे हो दल के माननीय सदस्य थे। वे युवक थे। उनके आकस्मिक निधन के कारण हम सबको दुःख है। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति मेरी ओर से और अपने दल की ओर से प्रेषित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय महाराजा झालावाड़ का देहावसान 17 मार्च को हुआ लेकिन आज भी काफी व्यक्तियों को यह विश्वास नहीं होगा, जो एक सत्य है और उस सत्य के विपरीत भी विश्वास होने की स्थिति नहीं है कि महाराजा झालावाड़ आज हमारे बीच में नहीं हैं। सौभाग्य से मुझे उन्हे काफी निकट से देखने का अवसर मिला है। कांग्रेस के एक साधारण सदस्य के रूप में भी मैंने देखा, मंत्री स्तर के एक मंत्री के नाते भी मैंने उन्हें देखा और उनके अन्तिम दिनों में विरोधी दल के एक सदस्य के रूप में भी मैंने उन्हें देखा। मुझे देख कर बहुत ही खुशी होती थी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें विरोधी होने पर और सत्ता पक्ष में होने पर दोनों ही स्थिति में मानवता के लिए गहरी वेदना है,

(श्री भैरोंसिंह)

एक इन्सान के प्रति बहुत बड़ा प्रेम हैं और यह उसी प्रेम का कारण था जो आज हम सब लोग एक बात महसूस करके चलते हैं कि वह राजस्थान का एक ऐसा राजा था जिसने राजा और साधारण नागरिक के बीच को खाई को अपने व्यवहार से बिल्कुल पाट दिया था। वह व्यक्ति केवल व्यवहार–कुशल ही नहीं था इसके साथ साथ वह पालियामेंट-असेम्बली में भी एक बहुत अच्छा पालियामेन्टेरियन सिद्ध हुआ। असेम्बली के वाद-विवाद के अवसरों पर कई बार कटु शब्दों का आदान-प्रदान हुआ है लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जो विरोधी दल के प्रहार के बावजूद जब इस सदन के बाहर गया तो शायद जिस व्यक्ति ने उन पर प्रहार किया था उसके प्रति सबसे अधिक आदर भाव रखने वाला व्यक्ति यदि उस समय कोई मिलता तो वह राजा हरिश्चन्द्र था जिससे उस समय बात करने पर ऐसे प्रहार करने वाले व्यक्ति को भी शर्म आती थी–इस आदमी में कितना बड़प्पन है। अभी सदन में जितनी आलोचना की उसमें कसर नहीं रखी लेकिन इस आदमी के दिल में मंत्री होने पर भी किसी प्रकार की कोई दुर्भावना का प्रवेश नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्समेन स्प्रिट के नाते महाराजा के इस गुण को सदा के लिए हम लोगों द्वारा लिया जाय। साथ ही महाराजा में कामरेडशिप थी उस कामरेडशिप को भी हम अपने आगे के जीवन का भाग बना कर चलें। उनमें उच्च कोटि की व्यवहार कुशलता थी इन सब गुणों के साथ। अतः मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं भी अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उस व्यक्ति के गुणों के प्रतीक स्वरुप उनका एक चित्र सदन में रख कर उससे हम लोगों द्वारा प्रेरणा ली जाय तो निश्चय ही लोकतंत्र के विकास के लिए भविष्य में वह मार्गदर्शक हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं उनसे अच्छी तरह परिचित थे, उनके गुणों से भी आप परिचित थे, आप दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे और हर प्रकार का मतेक्य आप दोनों में था, अतः मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा कि महाराजा हरिश्चन्द्र को सही रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो उस श्रद्धांजलि को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए महाराजा का एक परमानेंट स्टेच्यू या उनके चित्र को इस सदन में प्रतिस्थापित करने की किसी प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस सदन में आगे आने वाले सदस्य भी भविष्य में लोकतंत्र के विकास के लिए उससे मार्ग–निर्देश ले सकें। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सम्वेदना प्रगट करता हूं।

साथ ही श्री भानुप्रसाद कराड़िया, जो इस विधान सभा के 1966 तक सदस्य थे, की मृत्यु पर भी अपनी ओर अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक सम्वेदना प्रगट करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, जीवन कितना क्षणिक है–यह कटु सत्य हरिश्चन्द्र जी की मृत्यु से साबित हुआ हैं। वैसे तो यह कटु सत्य हमेशा अनुभव होता रहता है लेकिन जिस

(श्री रामकिशन)

स्थिति में हम सब लोग दिल्ली गये और उसके बाद में अचानक ही यह समाचार मिला कि हरिश्चन्द्र अब नहीं रहे हैं, इस समाचार से राजस्थान की जनता और विरोधी दल के लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मैं समझता हूं कि तकलीफ कांग्रेस पक्ष के लोगों को भी हुई होगी।

मैं श्री हरिश्चन्द्र के बारे में दूसरी तरह की जानकारी रखता हूं। वह जब कांग्रेस में और राजनीति में नहीं थे उससे पहले वह भारत के विदेश विभाग में बर्मा में थे। उन्हीं दिनों रंगून में एशियायी समाजवादियों का सम्मेलन होने वाला था। उस एशियायी समाजवादियों के सम्मेलन में सहरार और योगेश वगैरह भाग लेने वाले थे। उस सम्बन्ध में काफी लोग भाग लेने आये हुए थे। हम लोग कोटा के कुछ मित्रों के साथ उनसे मिले थे। बर्मा में उस समय एक सवाल चल रहा था कि बगैर मुआवजा दिये हुए लोगों को जमीन का वितरण कर दिया जाय। इस प्रकार की जब चर्चा चली तो उस समय हरिश्चन्द्रजी ने उस प्रस्ताव का समर्थन ही नहीं किया बल्कि यह तक कहा कि एशिया के जो दूसरे मुल्क हैं उनके लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात को बहुत व्यवहारिक बताया। उसके बाद मेरे मन में उनके प्रति एक संस्कार पैदा हुआ, वह राजा-महाराजा वाला संस्कार नहीं था, बल्कि गरीबों के साथ और एशिया के मुल्कों के दमित और शोषित लोग हैं उनसे सहानुभूति रखने वाले एक व्यक्ति की हैसियत से मेरी उनसे जानकारी हुई। उसके बाद वह कांग्रेस की राजनीति में फंस गये। कांग्रेस की राजनीति में मनुष्य की निष्ठा और आस्था में ह्रास हो जाया करता है। इसका असर उन पर भी हुआ होगा। मैं उसके सम्बन्ध में विशेष बात नहीं कह सकता। उसके बाद दूसरे मौके पर उनकी जानकारी मिली और उस समय उनका जिस प्रकार का व्यवहार रहा उससे मेरे मन में उनके प्रति और श्रद्धा बढ गई। जब संयुक्त दल का गठन होने लगा और संयुक्त दल का कार्यक्रम निर्धारित हो रहा था उस समय भूतपूर्व नरेशों के बिजली और पानी के खर्च बन्द करने की बात उपस्थित हुई थी। हरिश्चन्द्रजी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि यहां तक कहा कि इसका समय आने दो, यह तो बहुत जरूरी बात है। इससे राजस्थान में एक चेतना उत्पन्न होगी। मैं समझता हूं कि हरिश्चन्द्रजी राजा हरिश्चन्द्र नहीं थे बल्कि जनता के सही रूप में हरिश्चन्द्र थे और उनके प्रति जनता की श्रद्धा हो सकती है और विरोधी दल के सदस्यों की भी। जिस प्रकार की उनकी भावनायें थीं, जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन बिताया और जिस प्रकार का उनका रहन सहन था, उन सबसे तो हम प्रेरणा लेंगे ही। लेकिन उनका तीसरा मौका जिस रूप में देखने को मिला वह ज्यादा आकर्षक और उत्तेजक था। हम सभी राष्ट्रपति से मिलने गये थे। हमारे साथ में हरिश्चन्द्रजी भी थे। स्वराष्ट्र मंत्री चह्वाण साहब को वह एक बात का जवाब दे रहे थे। उन दोनों में जो गरमा गरमी हुई और जिस तथ्य पर हुई वह भी मजेदार थी। हरिश्चन्द्र जी कह रहे थे कि राजस्थान में 62 के अन्दर एक का बहुमत होने पर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया था। इस पर चह्वाण साहब कह रहे थे कि यह बात तो आप अच्छी तरह से जाने हैं। और हरिश्चन्द्रजी कह रहे थे कि यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं...

श्री विशम्बरनाथ जोशी (बांदीकुई) : इसको इस प्रकार विवादास्पद नहीं बनाना चाहिए।

श्री रामकिशन : आप सुनिये तो।

(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर!

श्री रामकिशन : मैं जो कह रहा था उसे जोशी जी समझिये।

श्री अध्यक्ष : भावनाओं में न बहें।

श्री रामकिशन : उन्हीं चीजों से जो मुझे प्रेरणा मिली उससे मैं कह सकता हूं कि उनका जो रुख था वह वास्तव में जनता का रुख था, जनता के लिये उनका जीवन था, जनता के लिये उनका सारा कार्य कलाप था मैं इस बात को कहूंगा कि वे भूतपूर्व नरेश ही थे इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं मैं यह कहूंगा कि वे वास्तव में राजा हरिश्चन्द्र थे। केवल मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ मौखिक सहानुभूति उनके निधन पर प्रकट की है....

श्री अध्यक्ष : क्यों इस पर विवाद करते हो।

श्री रामकिशन : मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री हरिश्चन्द्रजी और कराड़ियाजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। काल हर एक आदमी के लिये निश्चित है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि जिन महान कार्यों को अधूरा छोड़ गये हैं उनकी पूर्ति करें।

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह....

श्री खेतसिंह : हरिश्चन्द्रजी का देहान्त ऐसे मौके पर हुआ जिससे हम सब को बड़ा दुःख हुआ। पहले राजराना कांग्रेस में थे और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता लेकिन इस बात को लेकर उनके देहान्त से कुछ हमारे विपक्षी साथियों ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि उनको ज्यादा तकलीफ हुई और हमको नहीं हुई। राजराना जहां तक इन्सानियत का प्रश्न है, कांग्रेस के साथ रहे और 4:6 महीनों से आपके साथ थे। आपको 4 : 6 महीनों में इतना प्रेम हो तो हमारे साथ इतने लम्बे समय तक रहे तो क्या उनके प्रति हमारे दिलों में भावना नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि वे तो स्वर्ग में गये लेकिन इस तरह से कहना कि कांग्रेस की गंदी नीति है इस प्रकार के शब्द इसके साथ जोड़े गये, यह उचित नहीं है। उनका स्वर्गवास हुआ, इससे हम सबको बड़ा दुःख है। इसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव पेश किया है। जब अध्यक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव पेश हो तो ऐसा समझा जाता है कि वह सारे सदन की तरफ से प्रस्ताव है। दो मिनट मौन रहें और उनके परिवार को शांति के लिये आपने फरमाया लेकिन उसके बावजूद किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह दिया और यह कोशिश की कि वे कांग्रेस छोड़ कर आपके साथ आ गये थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप..

Page No.16

श्री खेतसिंह : हमें राजराना की मृत्यु से और दूसरा श्री कराड़िया की मृत्यु से उतना ही दुःख और पीड़ा है जितनी आपको है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन के दो माननीय सदस्यों के निधन पर जो प्रस्ताव आया है और इसके प्रति सदन के नेता ने और दूसरे लोगों ने अपनी-अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और वास्तव में ऐसी परिपाटी के अनुसार सदन के नेता को अपनी भावना व्यक्त करनी चाहिये थी लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की····

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि छोटे मोटे विवादों को आप छोड़ दें। आप स्वयं कवि हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन के नेता महोदय के सामने सब बराबर हैं। चाहे वे मुख्य मंत्री हों या कोई बिल्कुल डिफरेन्ट हों। उनके सामने बड़ा और छोटा सब बराबर हैं। उनको दो शब्द कराडियाजी के विषय में कहने चाहिये लेकिन उनके मुख से दो शब्द भी नहीं निकले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कुछ कहने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो तथ्य हैं उसको आप स्वीकार कर लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आसन की तरफ से दो प्रस्ताव अलग-अलग रखे गये थे। मैं पहले पर बोला था। वह केवल इस प्रकार से कि मैं दो अलग-अलग समझ कर दो बात कह रहा हूं। दो प्रस्ताव आसन की तरफ से अलग-अलग रख कर दो बार मौन किया था उसकी भूमिका में अपनी बात कही थी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने आपसे निवेदन किया, मुझे बड़े दुःखी हृदय से कहना पड़ता है कि उनका निधन सवाई मानसिंह होस्पिटल में हुआ वे 5 दिन पहले जल गए थे। वे वहां पर पांच दिन होस्पिटल में जेर इलाज रहे हैं और जेर इलाज रहने के बाद भी उनकी लाश को रिलीज नहीं किया गया। चूंकि वे मेरी पार्टी के आदमी थे, शहर में कोई दूसरा व्यक्ति एवेलेबल नहीं था, मुझे इत्तिला हुई। उनकी लाश का पोस्टमार्टम हुआ और वह लाश मुर्दाखाने में पड़ी रही और नहीं दी गई। मैंने बहुत कोशिश की। मगर लाश नहीं दी गई। उस पर मुझे भूतपूर्व विधान सभा के अध्यक्ष को एप्रोच करना पड़ा और उनकी भावना को ठेस पहुँचाने की कोशिश की, उनको मैंने कहा कि आप हमारे नेता हैं और एक एम. एल. ए. की लाश नहीं दी जा रही है। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन हमारी रक्षा करने वाला है। मैं यह बात माननीय सदन के नेता महोदय के कानों तक पहुँचाना चाहता हूं क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर है, इस प्रकार की छोटी मोटी बातें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। मरने के बाद एम. एल. ए. की लाश को नहीं देते। मैं आपकी किसी प्रकार की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन आपके कानों तक यह छोटी मोटी बात पहुँचाना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : ये तो जिन्दों को खरीदते है, मुर्दों की परवाह नहीं करते।

श्री दुर्गालाल बाद्‌दार : हमारा भी इतना ही अधिकार है और अपना पुनीत कर्तव्य है। आपको सोचना चाहिए क्योंकि हमारा दुःखी हृदय था। मैंने आपके शब्द नहीं सुने थे इसलिये यह बात कही कि छोटे और मोटे का कोई भेद भाव नहीं रहना चाहिये, समानता का भाव होना चाहिये इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कहा है। यदि इससे आपके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुँचती हो तो मैं अपने शब्दों को वापिस लेने को तैयार हूं। लेकिन यदि आप लोकप्रिय रहना चाहते हैं तो आपको समभाव रखना होगा।

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता !

(11 म. पू.)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, महाराजा झालावाड़ के निधन पर जो शोक प्रस्ताव सदन के सामने आया है...

एक माननीय सदस्य : भावनाएं जोर से प्रकट करिये।

श्री अध्यक्ष : भावनाएं अन्दर भी रहें बाहर भी रहें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि महाराजा झालावाड़ जब मिनिस्टर थे तो कुछ समय तक मुझे उनके साथ गवर्नमेंन्ट में रहने का मौका मिला और जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जनता-पार्टी का निर्माण किया तो शुरु से ही जनता पार्टी में उनके साथ बहुत नजदीक से कार्य करने का मौका मिला। राजा होते हुए भी उनका जीवन बहुत सादा था, उनके विचार उच्च थे। उनसे मेरी राजनैतिक और दूसरी बातें हुई, वे मुझ से उम्र में छोटे थे पर मुझसे छोटे भाई जैसा बर्ताव करते थे।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : आप तो बड़े भाई हैं उनके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बड़ा भाई हूं, शोक प्रस्ताव में क्यों डिस्टर्ब करते हैं और बहुत से मौके आयेंगे। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करता हूं और दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री माधोसिंह !

श्री माधोसिंह (आहोर) : महाराजा झालावाड़ श्री हरिश्चन्द्रजी के निधन के सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ।

महाराजा श्री हरिश्चन्द्रजी देश के उन इने गिने दो चार राजाओं में से थे जिन्होंने जनता की सेवा के लिये अपने आपको समर्पित किया। सबसे पहले उनके रिश्तेदार जोधपुर के महाराजा ने 1952 में जनता की सेवा के लिये अपने आपको रखा और उन्होंने एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। महाराजा झालावाड़ ने 1967 में उसी ढंग से हलचल पैदा कर दी थी। हमारे राजस्थान में ऐसे दो योग्य राजा जनता की सेवा के लिये आगे आये और उनके निधन पर हम लोगों को क्या पूरे राजस्थान को, भारतवर्ष को खेद होना चाहिये। हमें खेद है कि महाराजा

(श्री माधोसिंह)

झालावाड़ हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे 57 में 5 साल तक उनकी सेवा करने का मौका मिला। वे हर एक को भाई की तरह रखते थे, यह उनकी महानता थी। मैं इन्हीं शब्दों में उनके निधन पर शोक प्रकट करता हूं और उनके परिवार के साथ समवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ के भूतपूर्व नरेश श्री हरिश्चन्द्रजी से हमारे इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में और बाद में साथ रहने का अवसर मिला। उनके जीवन को मैंने महसूस किया कि वे एक राजघराने से होते हुए भी पुरानी सामन्ती प्रथाओं को तोड़ कर एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इस सदन में कई बार राजाओं के सम्बन्ध में कुछ बातें कहने का अवसर मिला था। एक दिन प्राईवेट बात में उन्होंने बताया कि वास्तव में वे स्वयं जिस प्रकार का उनका स्थान है, या प्रीवीपर्स के कारण जो आलोचनाएं उनकी होती हैं, उस स्थिति से वे खुश नहीं है, जिस जगह वे बैठे हैं वे अपने आप इस ओर कदम नहीं उठा सकते पर यदि अवसर मिला तो वे इस दिशा में स्वयं कदम उठायेंगे और मैं समझता हूं यदि वे जीवित होते तो इस सदन में अपनी ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव लाते कि जिससे यह जो प्रीवीपर्स का मामला है, जिसकी सारे देश में आलोचना होती है, उसको समाप्त कराने के लिए क़दम उठाते। वे खुद बताते थे कि उनके वंशज एक सामान्य कुटुम्ब के थे, एक सामान्य कर्मचारी, 9 रुपया माहवार पर काम करते थे और झालावाड़ पर उनके नाती होने के कारण उनके वंशजों को आना पड़ा इसलिये ऐसा मालूम पड़ता था कि वही परम्पराएं उनके दिमाग में थीं। इस आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा और हमारे साथ विरोधी रूप में आने का भी अवसर मिला। मैंने देखा कि इस 7 मार्च की दुर्घटना के बाद उनका चित्त बहुत ही उद्विग्न था, उन्होंने इस बात को एक बार कहा भी कि क्या राजनीति में इस हद तक भी मामले होते हैं कि इस प्रकार निरपराध लोगों की हत्याएं हों, जानें जायें। इससे उनका चित बहुत कुण्ठित हुआ।

मैं समझता हूं श्री हरिश्चन्द्रजी ने राजस्थान की राजनीति में ख्यातिपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संमवेदना प्रकट करता हूं।

इसके अतिरिक्त हमारे कराड़ियाजी जो पहले सदन के सदस्य थे, उनका जिस हालत में स्वर्गवास हुआ, उसको सुन कर बहुत खेद हुआ है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस घटना का जिक्र किया कि हमारे अस्पतालों में किस प्रकार की स्थिति है। निःसंदेह यह दुःखद है। यह अवसर नहीं कि इसकी अधिक चर्चा की जाय। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके संतप्त परिवार के प्रति अपनी संमवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री आदित्येन्द्र!

श्री आदित्येन्द्र (डीग): अध्यक्ष महोदय आज हमारे बीच में राजा हरिश्चन्द्रजी नहीं

(श्री आदित्येन्द्र)

हैं। उनसे अंतिम बात 16 मार्च को दिल्ली में हुई थी और वे दिल्ली इसलिये गये थे कि राष्ट्रपति शासन जो यहां कायम हो गया था उसको समाप्त कराया जाय। उसकी समाप्ति के लिये और विरोधी दलों की सरकार बनाने के लिये उनका बड़ा भारी आग्रह था, इसके लिये उनके हृदय में वेदना थी। 16 तारीख को हम सब वापिस आ गये। हम यहां प्रतीक्षा में थे कि वे जल्दी ही 17 तारीख को यहां वापिस आयेंगे पर 17 तारीख को रात को हमने यह सुना कि उनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई। वास्तव में उनकी मृत्यु से हम सब लोगों को बड़ा भारी धक्का लगा। वे एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, उनका व्यवहार बड़ा श्रेष्ठ और मधुर था। मुझे वह घटना याद आती है 55 की, मेरा व्यक्तिगत परिचय उनसे 55 में ही हुआ था और वह भी पत्र द्वारा। मुझे एक पत्र मिला, उस पत्र में नीचे लिखा हुआ था "विनीत हरिश्चन्द्र"। मैं नहीं समझ सका कि हरिश्चन्द्र कौन है, बाद में जानकारी से मालूम हुआ कि ये हरिश्चन्द्र राजा हरिश्चन्द्र हैं झालावाड़ के। बाद में मुझे झालावाड़ जाने का अवसर मिला झालावाड़ में वहां के लोगों ने सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, मुझे वहां बोलने का मौका मिला, वहां के लोगों ने राजा हरिश्चन्द्रजी को भी आमन्त्रित किया था बोलने के लिये पर राजा हरिश्चन्द्रजी वक्ता के रूप में नहीं पर श्रोता के रूप में उस सार्वजनिक सभा में सम्मिलित हुए। हमें यह भी मालूम नहीं था कि वे सार्वजनिक सभा में किस समय आये। जब सार्वजनिक सभा खत्म हुई तो हमें मालूम हुआ कि वे आम भीड़ में बैठे हुए हैं, वह भी फर्श पर नहीं धूल में, ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए थे जिनको देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ!

एक शब्द में कहूं तो वे वास्तव में गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। इन बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद से मेरी आस्था और भी ज्यादा गहरी हो गई।

जिस समय वे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में थे, मेरी उनसे बातें होती रहती थीं। बाद में जिस समय उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तब तो और ज्यादा वे मेरे नजदीक आ गये और उनके साथ थोड़े समय के लिये काम करने का भी मौका मिला।

इन दो घटनाओं के बाद मैं उनके प्रति अपनी ओर से व तमाम विरोधी दल की ओर से श्रद्धांजली अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रगट करता हूं।

इसके अतिरिक्त श्री कराड़िया जी के प्रति जिनकी मृत्यु अभी तीन-चार महीने पहले हुई थी उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय तो नहीं था और न उनके बारे में विशेष जानकारी ही है लेकिन उनके बारे में जो कुछ सुन पाया हूं और जिस प्रकार की जानकारी मिली कि वे हमारी विधान सभा के सन् 66 तक सदस्य रहे उनकी जिस प्रकार से दुखद मृत्यु हुई मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रगट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदन के नेता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आम तौर पर दूसरे माननीय सदस्यों ने श्री कराड़ियाजी के प्रति

Page No.20

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी संवेदना साथ ही प्रगट कर दी मैं भी अपनी तरफ से जिन दुखद परिस्थितियों में श्री कराड़ियाजी की मृत्यु हुई है उनके प्रति भी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं और उनके दुखद परिवार के प्रति संवेदना प्रगट करता हूं। आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की इन भावनाओं को दोनों परिवारों के यहां प्रेषित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 5 मई को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. 11.13 पर दिनांक 5 मई के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल राजस्थान का अभिभाषण)

माननीय सदस्यगण,

चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात् नई विधान-सभा के इस प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मतदाताओं का विश्वास प्राप्त करने के लिये आपको बधाई देता हूं। चतुर्थ आम चुनावों का शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो जाना, राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसा कि आपको विदित ही है, आम चुनावों के पूर्व देश में उग्र आन्दोलनों एवं हिंसक प्रवृत्तियों की जो लहर उमड़ पड़ी थी उससे यह सन्देह व्यक्त किया जा रहा था कि सम्भवतः चुनाव शान्तिमय वातावरण में न हो पायें। लेकिन जिस शान्तिमय वातावरण में चुनाव हुए हैं, एवं लगभग 25 करोड़ मतदाताओं ने मतदान में जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, उससे स्पष्ट है कि जनतन्त्र के प्रति हमारी आस्था सुदृढ़ है। इन चुनावों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सतर्क एवं जागरूक है।

2. राज्य में भी चतुर्थ आम चुनाव शान्ति एवं सद्भावना के वातावरण में सम्पन्न हुए हैं। इस बार विधान सभा की 184 सीटों के लिये 892 उम्मीदवार थे एवं लोक सभा की 23 सीटों के लिए 116 उम्मीदवारों ने मनोनयन-पत्र भरे थे। 12,913 मतदान केन्द्रों पर करीब 70 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान करीब 58 प्रतिशत रहा। इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न स्तरों के 35,000 राज्य कर्मचारियों को नियोजित किया गया। चुनाव कार्य का शान्ति, शीघ्रता एवं सुगमता से सम्पन्न होना इस बात का द्योतक है कि राज्य कर्मचारियों ने कार्य-कुशलता एवं कर्त्तव्य-परायणता से अपना कार्य किया। इसके लिए चुनाव-कार्य में नियोजित सभी राज्य कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं।

3. तीन पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य के योजनाबद्ध आर्थिक विकास की दिशा में काफी कुछ हासिल किया जा चुका है, लेकिन गत 2-3 वर्षों में वर्षा के अभाव एवं बढ़ती हुई मंहगाई के कारण हम पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। सूखा एवं अनावृष्टि के कारण राज्य के कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसः प्रकार अनावृष्टि के कारण विद्युत्-उत्पादन में ह्रास होने से औद्योगिक उत्पादन की गति भी कुछ धीमी हुई है। प्रारम्भ से ही कृषि, सिंचाई एवं विद्युत्-उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती रही है एवं पंचवर्षीय योजनाओं में इन पर सर्वाधिक व्यय किया गया है। लेकिन जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पाई है। आज की स्थिति में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हर सम्भव प्रयास किया जावे। अस्तु, उत्पादन-योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी, चाहे इसमें सामाजिक सेवाओं पर होने वाले व्यय में कुछ कमी ही करनी पड़े। कृषि-उत्पादन कार्यक्रमों की सफलता बहुत कुछ भूमि-सुधारों पर निर्भर करती है। राज्य में अब तक इस सम्बन्ध में

(श्री सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है उससे आप भलि-भांति परिचित हैं। गत वर्ष 26,385 भूमिहीनों को 1,60,259 एकड़ भूमि आवंटित की गई। छोटे काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन काश्तकारों के पास 1 अप्रेल, 1967, को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि-भूमि निर्धारित की गई है, उस सीमा तक या उस से कम कृषि-भूमि थी उनसे अब भू-राजस्व नहीं लिया जावेगा। यह निर्णय आगामी खरीफ की फसल से लागू होगा। अन्य छोटे काश्तकारों को किस सीमा तक और राहत दी जा सकती है, एवं उनको राहत देने से राज्य सरकार की आय में जो कमी होगी उसको कैसे पूरा किया जाय, इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार एक समिति नियुक्त कर रही है।

4. कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशानुकूल वृद्धि न होने एवं बढ़ती हुई जन-संख्या की बढ़ती हुई जरूरतों का सीधा परिणाम मंहगाई में वृद्धि है। इससे निश्चित आय-वर्ग के लोगों की कठिनाइयां और भी बढ़ गई हैं। मंहगाई में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में गत एक वर्ष में तीन बार वृद्धि की गई है। मंहगाई भत्ते को मूल्य-सूचनांकों से सम्बन्धित करने का सिद्धान्त राज्य सरकार पहले ही मान चुकी थी और उसी आधार पर जो निर्णय लिये गये थे उनके अन्तर्गत दो बार कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गई। लेकिन अब 1 जनवरी, 1967 से कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में फिर तदर्थ वृद्धि की गई है। राज्य कर्मचारियों की वेतन-शृंखलाओं में संशोधन करने के लिये सुझाव देने हेतु एक एक-सदस्य आयोग नियुक्त किया जा रहा है। आयोग कीमतों में वृद्धि, राज्य के वित्तीय साधन एवं विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए अपने सुझाव राज्य सरकार को देगा। 100 रु. से 200 रु० माहवार तक पेंशन पाने वाले पेन्शनरों की पेन्शन में भी 12 रु० प्रतिमास की वृद्धि की गई है।

5. कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि एवं अकाल राहत कार्यों पर होने वाले अप्रत्याशित व्यय के कारण राज्य के वित्तीय साधनों पर दोहरा भार आ पड़ा है। अस्तु, प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। गत वर्ष विभिन्न मित-व्ययता प्रस्तावों के क्रियान्वयन से 57.26 लाख रुपये की बचत की गई। प्रशासन में अधिक मितव्ययता लाने के लिये राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। मैं सम्मानित सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में वे भी अपने सुझाव राज्य सरकार को देवें। छोटे व्यापारियों को सहूलियत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार बिक्री-कर के अभिनिर्धारण एवं वसूली इत्यादि की प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में भी शीघ्र कदम उठायेगी।

6. सूखा एवं अनावृष्टि से उत्पन्न अकाल स्थिति राज्य की सर्वाधिक विषम समस्या है। 1963 64 का दुर्भिक्ष राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व माना गया था, लेकिन दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और 1965-66 में हमें इससे भी अधिक तीव्र अकाल का सामना करना पड़ा इसका मुकाबला करने के लिये हमें कुल मिला कर 568.73 लाख रु० व्यय करने पड़े। गत वर्ष की भांति

(श्री सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

इस वर्ष भी राज्य के 26 जिलों में से 23 जिले अकालग्रस्त हैं। अकाल स्थिति की तीव्रता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के 9,715 गांव एवं करीब 45 लाख जन संख्या अकाल से पीड़ित है, जिन जिलों में अकाल स्थिति अत्यधिक विषम है, वे जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर सिरोही, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, टोंक एवं बूंदी हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। राज्य सरकार ने कृषकों को राहत प्रदान करने के लिये यह आदेश प्रसारित किया कि भू-राजस्व एवं अन्य वसूलियें स्थगित कर दी जावें।

7. अकाल स्थिति का सामना करने, अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों को समुचित राहत देने एवं पशु धन के संरक्षण के लिये राज्य सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये:—

(I) अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार देने के लिये राहत कार्यों का प्रारम्भ।

(II) पेय-जल वितरण की समुचित व्यवस्था।

(III) घास का वितरण एवं पशु-धन संरक्षण।

(IV) वृद्ध, अशक्त एवं विकलांगों को नगद सहायता।

(V) पशु-धन की राज्य के बाहर निकासी एवं इस हेतु पशु-शिविर एवं घास-शिविर इत्यादि की व्यवस्था।

8. राहत कार्यों को प्रारम्भ करने में इस बार लघु-सिंचाई कार्यों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। भू-संरक्षण कार्यों, वन-रोपण कार्यों एवं सीमान्त क्षेत्रों में सड़क-निर्माण कार्यों पर भी अकाल पीड़ित लोगों को रोजगार दिया गया है। जहां तक संभव हुआ है राजस्व विभाग द्वारा संचालित राहत कार्यों की संख्या न्यूनतम ही रखी गई है। इस समय करीब 4.58 लाख व्यक्ति 1,015 राहत कार्यों में लगे हुए हैं। आने वाले कुछ महिनों में इस संख्या के और भी बढ़ने की संभावना है।

9. अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में पेय-जल के समुचित वितरण के लिये राज्य सरकार प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील रही है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक कुआ इतनी अच्छी अवस्था में होना चाहिए कि उससे सूखे के समय भी पर्याप्त पेय-जल प्राप्त हो सके। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय-जल संकट को सदैव के लिये समाप्त करने हेतु एक महायोजना राज्य सरकार द्वारा तैयार करके भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। इस महायोजना के अनुसार समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेय-जल उपलब्ध करने के लिये 70 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 1966-67 से 20 नगरीय जल-प्रदाय योजनायें एवं 35 ग्रामीण जल-प्रदाय योजनायें प्रायः पूर्ण करली गईं। अजमेर जल-प्रदाय योजना का कार्य भी संतोषजनक प्रगति पर है। बाड़मेर जिले में, जहां पेय-जल की समस्या अत्यधिक विषम है, रेल एवं ट्रकों द्वारा पानी भेजा जा रहा है।

10. राज्य के भूतल-जल-भण्डार के विदोहन हेतु कुछ और कदम भी उठाये गये

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

हैं। गत वित्तीय वर्ष में 19,055 कुओं को गहरा किया गया तथा 112 नलकूपों का निर्माण किया गया। इससे पेय जल ही उपलब्ध नहीं होगा अपितु करीब 50,000 एकड़ भूमि में सिंचाई भी हो सकेगी। इस कार्य को तीव्र गति प्रदान करने के लिये गत वर्ष 50 कम्प्रेसर एवं 15 ड्रिलिंग मशीनें क्रय की गई। इस प्रकार अब 116 कम्प्रेसर एवं 26 ड्रिलिंग मशीनें कार्य कर रही हैं। इस वर्ष 20 कम्प्रेसर एवं 3 ड्रिलिंग मशीनें क्रय करने का विचार है। इससे कुओं को गहरा करवाने एवं बोरिंग का कार्य बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जा सकेगा। इन नल कूपों पर पम्पिंग सेट्स लगाने के लिये पम्प एवं अन्य मशीनरी आदि भी क्रय की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये भी आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

11. राज्य की वर्तमान खाद्य स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। यह सूखा एवं अनावृष्टि का स्वाभाविक परिणाम है। गत वर्ष राज्य में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, पर सन् 1965-66 में खाद्यान्न उत्पादन 37.20 लाख टन था और गत वर्ष भी खाद्यान्न उत्पादन अनुमानतः इतना ही रहा है। राज्य की खाद्य समस्या पर नियन्त्रण रखने के लिये निम्नलिखित त्रिसूत्री कार्यक्रम अपनाया गया :

(I) भारत सरकार से आवंटित आयातित खाद्यान्न का वितरण।

(II) भारत सरकार के माध्यम से अन्य प्रान्तों से खाद्यान्न का आयात।

(III) राज्य में खाद्यान्नों का स्थानीय क्रय।

12. गत वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत सरकार से 3.13 लाख टन आयातित गेहूं व 1.70 लाख टन विदेशी ज्वार (माइलो) प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त रोलर फ्लोर मिल द्वारा तैयार किया गया करीब 27,300 टन आटा भी प्राप्त हुआ था। पंजाब से 250 टन बाजरा भी प्राप्त किया गया। राज्य में विभिन्न मण्डियों से लगभग 45 हजार टन अनाज क्रय किया गया जिसमें से लगभग 26 हजार टन चना व चना दाल है। क्योंकि अन्य राज्य चना एवं चना दाल के लिये राजस्थान पर निर्भर करते हैं इसलिए लगभग 14,600 टन चना व चना दाल भारत सरकार के आवंटन के अनुसार खाद्य निगम के माध्यम से अन्य राज्यों को निर्यात किया गया। उक्त निर्यात के पश्चात् बचे अनाज को सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किये जाने की व्यवस्था की गई। सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या भी आवश्यकतानुसार एवं अनाज की उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर कम ज्यादा करनी पड़ी मार्च, 1967 में इनकी संख्या 2,284 थी। लेकिन अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों एवं बड़े नगरों को इस सम्बन्ध में प्राथमिकता दी गई है।

13. अनाज की सीमित उपलब्धि एवं निरन्तर बढ़ती हुई जन-संख्या की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कुछ अन्य कदम भी उठाये गये हैं। खाद्यान्न-विपुल क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में अनाज भेजने के उद्देश्य से राजस्थान खाद्यान्न (अन्तर्जिला आवागमन पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1965, को 1 अक्टूबर 1966 से वापिस ले लिया गया। खाद्य

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)
निगम के माध्यम से राज्य में अनाज का भण्डार बनाने हेतु राजस्थान खाद्यान्न (प्रोक्योरमेंट) आदेश, 1965, में संशोधन कर गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा तथा पेडी का भी समावेश किया गया तथा खाद्य निगम को चुनी हुई मण्डियों से खाद्यान्न की आमद का 50 प्रतिशत तक प्राथमिकता से क्रय करने का अधिकार दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 15 हजार टन मोटा-अनाज क्रय किया जा चुका है। इस वर्ष चने की फसल को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य निगम को राज्य की 52 मण्डियों में चने की आवक का 50 प्रतिशत प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार खाद्य निगम को राज्य की 31 मण्डियों में जौ की आवक का 50 प्रतिशत प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने का दिया गया है। खाद्य-निगम ने क्रय आरम्भ कर दिया है।

14. वर्ष 1966-67 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था। राज्य ने अपने प्रारम्भिक ज्ञापन में चौथी योजना का आकार 438.40 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया था परन्तु वित्तीय साधनों की अनिश्चितता के कारण योजना आयोग ने चौथी योजना पर विचार स्थगित कर दिया और केवल 1966-67 की वार्षिक योजना पर 36.66 करोड रुपये खर्च की स्वीकृति दी। राजस्थान नहर परियोजना में नहर निर्माण तथा उस क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र से 6 करोड रुपये की अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान समय-समय पर लघु सिंचाई ग्रामीण विद्युतिकरण, ग्रामीण जल प्रदाय योजना आदि पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती रही। इस प्रकार 48.14 करोड रुपये के संशोधित बजट प्रावधान के मुकाबले अनुमान किया जाता है कि वार्षिक योजना पर व्यय 47.91 करोड़ रुपये का हुआ। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतिकरण को बढावा देने की दृष्टि से जीवन बीमा निगम से 2.00 करोड रुपये का ऋण राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा लिया गया, जो पूरा खर्च किया गया। इस प्रकार 49.91 करोड़ रुपये के खर्चे में से 77 प्रतिशत खर्च कृषि, सिंचाई एवं विद्युत् परियोजनाओं पर किया गया, जिनसे इस कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकता स्पष्ट प्रकट हो जाती है। नवम्बर, सन् 1966 में योजना आयोग ने राज्य की चतुर्थ योजना पर विचार विमर्श कर उसका आकार 313 करोड़ रुपये का निश्चित किया, परन्तु इसके विभागीय विभाजन (सेक्टोरल अलोकेशन) का ब्यौरा अभी भी योजना आयोग के विचाराधीन है।

15. कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है एवं पंचवर्षीय योजना में इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। लेकिन गत 2-3 वर्षों से वर्षा के अभाव के कारण खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा जलाशयों में पानी की कमी के कारण सिंचाई के लिये भी निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिये कई कदम उठाये गए हैं। गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक विभिन्न वृहत, मध्यम एवं लघु-सिंचाई योजनाओं से करीब 21 लाख एकड़ भूमि सिंचित हुई। सिंचाई की वृहत योजनाओं में चम्बल योजना के प्रथम चरण का कार्य

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)
अधिकांशतः पूर्ण हो चुका है, तथा विद्युत् व सिंचाई की सुविधाओं को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। चम्बल-योजना के द्वितीय चरण का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। माही परियोजना एवं गुड़गांव नहर का भी कार्य चल रहा है। राजस्थान परियोजना से वर्ष 1966-67 में करीब 1.10 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की गई है। इसके अतिरिक्त, घग्घर नदी के जल पर भी, जो बाढ़ लाकर फसलों की हानि करता था, नियन्त्रण कर उत्पादन वृद्धि के कार्यों में प्रयुक्त करने की योजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। कामां-पहाड़ी बाढ़-नियन्त्रण-योजना, सिंघावली व भरतपुर की जल-निकास योजनाओं पर भी कार्य जारी है। चम्बल क्षेत्र में जलानुवेशन (वाटर-लोगिंग) के कारण कृषि-उत्पादन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसके समाधान हेतु भी उचित कदम उठाये जा रहे हैं। इस हेतु 1966-67 में 33 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

16. मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। 1966-67 में 11 मध्यम योजनाओं पर कार्य किया गया। इनमें से 8 योजनायें जो प्रायः पूर्ण है, उनसे सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा शेष कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। 350 लघु-सिंचाई योजनाओं पर कार्य पूरा हो चुका है, 40 कार्य समाप्त प्रायः हैं तथा 80 कार्यों पर कार्य चालू है। लघु सिंचाई-योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत समितियों को भी तालाबों, एनीकट्स इत्यादि के निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुदान दिये गये। पंपिंग सैट्स के लिये भी 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। इन कार्यों का महत्व देखते हुए पंचायत समितियों को यह अधिकार दिये गये कि वे अपनी निजी आय में से उपकरणों की खरीद कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं और इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप बोनस या पारितोषिक भी दे सकते हैं। कृषकों को नए कुएँ बनवाने, पुराने कुओं को गहरा करवाने, नल-कूप व रहट लगवाने एवं पक्की नालियां बनवाने के लिये भी ऋण देने की व्यवस्था की गई।

17. कृषि-उत्पादन में वृद्धि हेतु रसायनिक खाद का प्रयोग निरन्तर बढ़ाया जा रहा है। वर्षा की कमी तथा कुओं एवं जलाशयों में पानी कम उपलब्ध होने के कारण रसायनिक खादों के प्रयोग में कुछ बाधायें आती रही है, लेकिन फिर भी गत वर्ष करीब 80 हजार टन नत्रजनिय एवं 25 हजार टन सुफरफासफेट उर्वरक प्रयोग में लाया गया जो कि गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है। गत वर्ष करीब 2,000 टन पोटेशिक खाद का वितरण किया गया है। इस वर्ष के लिये 1 लाख 52 हजार टन नत्रजनिय, 54 हजार टन फासफेटिक व 3 हजार टन पोटेशिक खाद वितरण करने के लक्ष्य रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त कम्पोस्ट खाद बनाने एवं वितरण करने पर भी बल दिया जा रहा है। जयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, उदयपुर तथा जोधपुर नगर पालिकाओं में यह कार्यक्रम चालू है, तथा कम्पोस्ट खाद को ट्रकों तथा ट्रेक्टरों द्वारा वितरित किया जा रहा है। नगरपालिकाओं को

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

भी इस सम्बन्ध में परिवहन बाहन खरीदने के लिए 5 लाख रुपये का ऋण दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत करीब 1 लाख 80 हजार शहरी व 25 लाख टन गोबर कचरे की खाद बनाई व वितरित की गई। 1967-68 में 2 लाख 80 हजार टन शहरी खाद व 26 लाख टन गोबर कचरे की खाद बनाने व वितरण के लक्ष्य रखे गये हैं।

18. उन्नत बीज-उत्पादन करने के लिए 3 नये फार्मों को प्रारम्भ करने की कार्यवाही चालू है। गत वर्ष करीब 8 लाख एकड़ क्षेत्र में उन्नत बीज प्रयोग में लाये गए। इसके अतिरिक्त, गत वर्ष की खरीफ फसल के लिए 18,855 एकड़ भूमि में बाजरा, ज्वार, मक्का व धान के संकर बीजों का प्रयोग किया गया। संकर बीजों के प्रयोग से प्रति एकड़ उपज उत्साहवर्धक रही है। संकर बीजों की कमी को दूर करने के लिए इनका उत्पादन भी राज्य में प्रारम्भ किया गया है। गत रबी की फसल में करीब 22,700 एकड़ भूमि में मेक्सिकन गेहूं बोया गया। इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ावा देने की योजना है। इस वर्ष में खरीफ की फसल में 1,57,000 एकड़ भूमि में ज्वार, बाजरा, मक्का व धान के संकर बीजों व रबी में 1 लाख 25 हजार एकड़ में मेक्सिकन गेहूं के बीजों को प्रयोग में लेने का लक्ष्य रखा गया है।

19. कृषि के उत्तरोत्तर विकास के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाये गये हैं। राज्य के 10 जिलों की 60 पंचायत समितियों में सघन कृषि-कार्यक्रम जारी रखा गया है। इस वर्ष में इस कार्यक्रम में 29 पंचायत समितियां और सम्मिलित करने की योजना है। जिला सघन कृषि-कार्यक्रम पाली एवं सिरोही जिलों की 10 पंचायत समितियों में चालू है। फसल-संरक्षण के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। गत वर्ष करीब 44 लाख एकड़ क्षेत्र में पौध संरक्षण का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त, बीमारियों की रोकथाम के लिये वायुयानों द्वारा कोटा, झालावाड़ एवं गंगानगर जिलों में करीब 46 हजार एकड़ भूमि में गेहूं व कपास की फसलों पर दवाइयां छिड़की गईं। इस वर्ष के लिए 54 लाख एकड़ क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य व 40 हजार एकड़ क्षेत्र में वायुयानों द्वारा दवाइयें छिड़कने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उद्यानों के विकास के लिए एवं सब्जियों की पैदावार के लिए भी यथेष्ट ध्यान दिया गया है।

20. गत वर्ष भू-संरक्षण का कार्य करीब 80 हजार एकड़ क्षेत्र में पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त, 14 जिलों में अकाल-सहायता कार्यों के अन्तर्गत भी भू-संरक्षण कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। डोलबन्दी व सूखी खेती का कार्य करीब 13 लाख एकड़ में पूरा किया गया। चम्बल-क्षेत्र में पानी के भराव की समस्या को हल करने के लिए कार्य प्रारम्भ किया गया तथा गत वर्ष करीब दो हजार एकड़ क्षेत्र में यह कार्य पूर्ण किया गया। चम्बल क्षेत्र में भूमि समतल करने का कार्य भी रिफाइनेन्स कारपोरेशन की सहायता से प्रारम्भ कर दिया गया है।

21. पशुपालन कार्य हमारी अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, और राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में इसके

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

विकास हेतु प्रारम्भ से ही यथेष्ठ ध्यान दिया जाता रहा है। गोवंश की विभिन्न नसलों के सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। पशु रोगों के निदान हेतु राज्य में इस समय 204 पशु-चिकित्सालय, 127 पशु-औषधालय, 17 चल पशु-चिकित्सालय तथा 7 प्रतिकारी जनन-इकाइयां कार्य-रत हैं। सूरतगढ़ में एक चल पशु-चिकित्सालय प्रारम्भ किया गया है। पशुओं में माता-रोग के उन्मूलन हेतु राज्य में 7 पार्टियां एवं 5 चैक-पोस्ट कार्य कर रही हैं। शूकर-पालन, कुक्कुट-विकास एवं मत्स्य-पालन को भी प्राथमिकता दी गई है। इससे लोगों को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि खाद्य समस्या का भी कुछ हद तक समाधान हो सकेगा। कुक्कुट-पालन की तरफ लोगों को उत्साहित करने के लिए तकनीकी सलाह के अतिरिक्त तैयार खाद्य भी वितरित किया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक राजकीय फार्मों पर 5.59 लाख अंडों का उत्पादन हुआ। मत्स्य-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ चुने हुए जलाशयों को विकसित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

22. राज्य में ऊन-उद्योग के विकास हेतु जो स्वीकृत कार्यक्रम 1963 में प्रारम्भ किया गया था वह योजना के अनुसार पूर्ण किया जा रहा है। इस वर्ष नागौर तथा पाली में ऊन-वर्गीकरण-केन्द्र तथा जोधपुर व बीकानेर में वर्गीकरण एवं विपणन (मार्केटिंग) केन्द्र प्रारम्भ कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, गत वर्ष 27 भेड़ व ऊन प्रसार एवं कतरन केन्द्र खोले गए हैं। स्वीकृत कार्यक्रम के प्रारम्भ किये जाने से अब तक लगभग 17.74 लाख किलोग्राम ऊन का वर्गीकरण के उपरान्त विपणन किया गया। मशीनों द्वारा ऊन कत्वन के कार्य के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु जो प्रजनन केन्द्र चल रहे थे उनको विकसित किया गया है तथा चित्तौड़गढ, बसवन्तगढ एवं हनुमानगढ़ में नये प्रजनन केन्द्र प्रारम्भ किये गए हैं। नस्ल सुधार के लिये प्रसार एवं कत्वन केन्द्रों पर शुद्ध नस्ल के मेंढे रखे गये हैं एवं ग्रामीण भेड़-पालकों में उन्हें वितरित किया जा रहा है। राज्य की भेड़ों की ऊन-उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने एवं ऊन की किस्मों को सुधारने हेतु जो रूसी भेड़ें तथा मेंढे प्राप्त हुए थे उनकी संख्या में बहुत ही संतोषजनक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ संकर मेमनों की प्रगति भी उत्साहजनक है। इस कार्यक्रम को और अधिक विकसित करने एवं व्यापक रूप देने के लिये एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी जयपुर में प्रारम्भ किया गया है। कृषक-वर्ग को इस कार्य के लिये प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान एवं ऋण देने की भी व्यवस्था की गई है।

23. कृषि उत्पादन-कार्यक्रमों में पंचायती—राज संस्थाओं का विशेष उत्तरदायित्व है। सघन कृषि—कार्यक्रम, उन्नत बीज वितरण, लघु—सिंचाई, कम्पोस्ट खाद निर्माण एवं वितरण, स्थानीय विकास कार्य, व्यवहारिक पोशाहार-कार्यक्रम इत्यादि में पंचायती-राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थानीय विकास-कार्यों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान पर जोर दिया गया। पंचायत समितियों को नकद, श्रम एवं अन्य रूप में 50 लाख रुपये का जन-सहयोग भी प्राप्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत को अपनी आय के साधन बढ़ाने हेतु 15 बीघा भूमि आवंटित की गई है तथा पंचायत समिति को 100 बीघा भूमि आवंटित की

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

जाने का प्रावधान किया गया है। इस भूमि का प्रयोग कृषि-उत्पादन तथा कृषि के उन्नत तरीकों के प्रदर्शन हेतु किया जायेगा। क्योंकि ग्राम-सेवक मुख्यतः कृषि-कार्यकर्ता हैं, अतः ग्राम सेवकों को कृषि, पशु-पालन आदि विषयों में उच्च प्रशिक्षण हेतु एक नई योजना गत वर्ष प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत इस समय 57 ग्राम-सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

24. सहकारिता के क्षेत्र में गत वर्ष कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष था। कुछ वर्ष पूर्व तक जहां सहकारी आन्दोलन केवल ऋण देने तक ही सीमित था वहां अब यह विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर फैलता जा रहा है। सहकारी समितियां अब सदस्यों को न केवल ऋण ही उपलब्ध करा रही हैं, अपितु उन्हें सस्ते खाद, बीज, औजार, कीटाणुनाशक दवाइयां आदि की सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जहां सब प्रकार की सहकारी समितियों की कुल संख्या 18,309 थी, वह बढ़ कर जून, 1966 के अन्त तक 22,580 हो गई। सदस्यता 9,67,928 से बढ़ कर 14,92,313 हो गई है। सन् 1966-67 के अन्त तक सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत 33.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवार आ चुके थे। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के काल में 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता क्षेत्र में लाने का लक्ष्य रखा गया है। ऋणदात्री समितियों ने भी अच्छी प्रगति की है। लेकिन सूखा व अनावृष्टि के कारण ऋण-वसूली में कुछ बाधायें आई हैं। इस हेतु राज्य में कृषि-साख स्थिरता फण्ड (एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाईजेशन फंड) स्थापित किया जा चुका है। आर्थिक दृष्टि से अशक्त सहकारी समितियों के पुनर्गठन एवं दृढ़ीकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सहकारिता के अन्तर्गत अब फसली ऋण की व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार अब ऋण देते समय कृषक की हैसियत नहीं देखी जाती बल्कि यह देखा जाता है कि उत्पादन वृद्धि के लिये उसको कितने ऋण की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने 50 पंचायत समितियों में तकाबी ऋणों को सहकारी समितियों के माध्यम से देने का भी निर्णय लिया है। सहकारी क्षेत्र में केशवराय पाटन (बूंदी) में चीनी मिल को प्रारम्भ करने का कार्य संतोषजनक प्रगति पर है। गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) में राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल पंजीकृत की जा चुकी है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों को रोकने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। उपभोक्ता-होलसेल भण्डारों एवं खुदरा शाखाओं का जाल बिछाया जा रहा है। जयपुर तथा जोधपुर में सहकारी बाजार प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा अजमेर में विभागीय भण्डार शीघ्र ही अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे। राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

25. मानसून की विफलता का एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम विद्युत् उत्पादन में ह्रास है। गांधीसागर जलाशय में जल का सीमित अन्तर्वाह ही हुआ एवं जल का अधिकतम स्तर 1265 फीट था। ऐसी स्थिति में विद्युत्-प्रदाय में कुछ कटौती करना अनिवार्य था। इस असाधारण स्थिति का सामना करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान को दिल्ली पावर सिस्टम से मिलाने के लिये 132

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

KM ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण की स्वीकृति दी है। इस कार्य के सम्पन्न हो जाने पर हमें 20 MW अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध हो सकेगी। यदि इस वर्ष भी प्रकृति हमें धोखा नहीं देती है, तो सितम्बर, 1967 तक चम्बल परियोजना से विद्युत-उत्पादन पुनः सामान्य हो जावेगा। इसके अतिरिक्त जून-जुलाई, 1967 तक सतपुड़ा से तथा सितम्बर-अक्टूम्बर, 1967 तक राणा प्रतापसागर से 30 MW तक विद्युत् प्राप्त होने की सम्भावना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विद्युत्-उत्पादन, संचरण एवं वितरण के लिये 91.8 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रावधान से करीब ढाई गुना है। ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए भी समुचित प्रयास किया गया है। गत वर्ष के अन्त तक करीब 1,700 विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत् पहुंच चुकी थी तथा करीब 12,000 कुओं पर विद्युत् का उपयोग किया जा रहा था।

26. शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष काफी प्रगति हुई। प्राथमिक स्तर पर 30 नई प्राथमिक शालायें प्रारम्भ की गईं एवं दो हजार नये अध्यापकों की प्राथमिक शालाओं में नियुक्ति की गई। माध्यमिक स्तर पर 50 प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत करने के लक्ष्य की तुलना में वास्तव में 199 प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया, जिसके फलस्वरूप माध्यमिक शालाओं की संख्या अब 1,830 हो गई है। 200 द्वितीय श्रेणी के अध्यापक उन शालाओं में नियुक्त किये गये जहां एक भी द्वितीय श्रेणी का अध्यापक नहीं था। मार्च, 1967 में प्राथमिक शालाओं में कुल विद्यार्थी संख्या करीब 17.35 लाख थी जो कि 6-11 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं का 50.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर मार्च, 1967 के अन्त तक विद्यार्थी संख्या 3.65 लाख हो गई थी जो कि 11-14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का 21 प्रतिशत है। उच्च-माध्यमिक स्तर पर 129 माध्यमिक स्कूलों को इस वर्ष उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया जिसके फलस्वरूप उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ कर 872 हो गई। इन स्कूलों में 40 प्रथम श्रेणी के एवं 60 द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। विज्ञान विषय के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 62 उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालाओं में विज्ञान-विषय व 26 शालाओं में जीव-विज्ञान विषय प्रारम्भ किये गये। 7 शालाओं में कृषि-विषय एवं 14 शालाओं में वाणिज्य-विषय प्रारम्भ किये गये। विज्ञान-कक्षाओं में विज्ञान की सामग्री के अभाव को दूर करने हेतु 10.91 लाख रुपये की धन-राशि का वितरण किया गया। उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या मार्च, 1967 तक 1.58 लाख हो गई थी जो कि 14-17 वर्ष की आयु-वर्ग के स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं का 10.1 प्रतिशत है।

27. उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए गत वर्ष 5 नए कालेज बारां, नीमकाथाना, प्रतापगढ़, जालोर व भीनमाल में खोले गये। राजकीय महाविद्यालय, टोंक में विज्ञान संकाय, बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना, में भूगर्भ संकाय और राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा, में वाणिज्य-संकाय प्रारम्भ किये गये। अजमेर में विभिन्न भाषाओं के अध्ययन

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)
हेतु एक संस्था की स्थापना की गई। अभी यह संस्था केवल अंग्रेजी भाषा का ही अध्ययन कराती है लेकिन भविष्य में दूसरी भाषाओं के अध्ययन की भी व्यवस्था करने का विचार है। संस्कृत-शिक्षा के विकास हेतु एक राजकीय संस्कृत पाठशाला प्रारम्भ की गई एवं दो उपाध्याय महाविद्यालयों को शास्त्रीय स्तर में क्रमोन्नत किया गया एवं 2 गैर-सरकारी संस्कृत पाठशालाओं को राज्याधीन लिया गया। संस्कृत के 20 अध्यापक प्रशिक्षण हेतु भेजे गये, एवं संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। इस वर्ष अनिवार्य एन. सी. सी. प्रशिक्षण को दृढ़ किया गया एवं कुछ नई यूनिट स्थापित की गईं।

28. तकनिकी शिक्षा के क्षेत्र में मालवीय क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर, में 60 सीटों की वृद्धि की गई। भरतपुर तथा जयपुर में दो नये पोलीटैकनिक स्थापित किये गए।

29. विद्युत्-उत्पादन में ह्रास के फलस्वरूप वृहत् उद्योगों के विकास में कुछ कम प्रगति हुई है। निकट भविष्य में सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़, एवं वनस्पति कारखाना, भीलवाड़ा, प्रारम्भ होने वाले हैं। निम्नलिखित वस्तुएं बनाने के लिए भारत-सरकार द्वारा राजस्थान को नये लाइसेंस दिये गये हैं:—

1. उर्वरक-कारखाना, कोटा में।
2. तांबे के काण्टेक्ट तार, जयपुर में।
3. इ. सी. ग्रेड एल्यूमिनियम के तार, जयपुर में।
4. टँगस्टन कारबाइड डाई, जयपुर में।
5. सूत कातने की मिल, उदयपुर में।

30. रोलर फ्लोर मिल, जयपुर, की बढ़ोत्तरी एवं पाली मिल के लिये अतिरिक्त 10,030 तकुवों के भी भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किये गये हैं।

कुछ अन्य उद्योगों में क्षमता बढाने के लिये तथा नई वस्तुओं के निर्माण हेतु भी भारत सरकार को लिखा गया है। कुछ वस्तुएं जिनके बनाने के लिये भारत सरकार से उद्योग (डवलपमेंट तथा रेगूलेशन) अधिनियम, 1951, के अन्तर्गत लाइसेंस लेने पड़ते थे, अब उससे मुक्त कर दिया गया है। इससे राज्य में कई नये उद्योग प्रारम्भ होने की सम्भावना है। ग्राइंडिंग मशीन टूल्स फैक्ट्री, अजमेर, एवं सीमेंट फैक्ट्री, उदयपुर का हाल ही में शिलान्यास किया गया है। निम्नांकित उद्योगों को प्रारम्भ करने की प्रगति सन्तोषजनक है:—

1. इन्स्ट्रूमेन्टेशन कारखाना, कोटा।
2. उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर।
3. बूंदी सीमेंट वर्क्स, बून्दी।
4. ब्यावर सीमेंट वर्क्स, ब्यावर।
5. कोको-कोला प्लाण्ट, जयपुर।
6. जिंक स्मेल्टर, उदयपुर।

31. ऊनी मिल, लघु-उद्योग-निगम के अधीन, स्थापित की जा रही है। इस के लिये मशीनों एवं प्रशिक्षित स्टाफ इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई है। लघु उद्योगों के विकास के लिए उपक्रमियों को ऋण देने के लिये 3 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस योजना से 100 लघु उद्योग लाभान्वित होंगे। लघु उद्योगों में विद्युत् उपयोग पर कुछ सब्सीडी भी दी गई है।

32. बीकानेर में ऊनी मिल के लिये कार्य प्रारम्भ होने से राजकीय उद्योगों का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है। इस मिल

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

के लिये यन्त्रों का आयात जापान से किया जा रहा है। यह मिल 1967-68 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगी। इस वर्ष एक सोडियम सल्फाइड प्लाण्ट का भी निर्माण किया गया है, जिसमें उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान सोडियम सल्फेट प्लाण्ट, डीडवाना, की उत्पादन क्षमता को 20 टन प्रतिदिन से 40 टन प्रतिदिन बढ़ाने हेतु भी कार्य चालू है।

33. खनिज उद्योग के क्षेत्र में हमारे देश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुए उस समझौते का सर्वाधिक महत्व है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान के कुछ हिस्सों का वायु-सर्वेक्षण किया जावेगा। इससे राज्य की खनिज सम्पदा के सम्बन्ध में नये तथ्य प्रकाश में आने की संभावना है। गत वर्ष खनिजों के उत्पादन में 8 प्रतिशत एवं अप्रदाय खनिजों के उत्पादन में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उदयपुर की रेलमगरा तहसील में राजपुरा के पास शीशे, जस्ता एवं तांबा होने का कुछ आभास मिला है व इस सम्बन्ध में अग्रिम जांच हो रही है। जैसलमेर में बीरमानिया के पास फासफेट के भण्डार की स्थिति का पता लगा है और इसके लिये खोज-कार्य चल रहा है। उदयपुर जिले के भींडर, कंटार तथा बेलागढ़ (जिन्दोली गांव) के निकट फोस्फोराइट खनिज के भण्डार का भी पता लगा है। चित्तौड़गढ़ जिले में पारसोली एवं बांसवाड़ा जिले में लुहारिया में चूना-पत्थर के भण्डार का भी पता लगाया गया है। सरकारी क्षेत्र में डूंगरपुर जिले में मान्डों की पाल में फ्लोरोइस्पात तथा नागौर जिले में गोटमांगलों व डेगाना में क्रमशः जिप्सम व टंगस्टन धातु खनिज का खनन कार्य चालू रखा है। जालौर जिले में ग्रेनाइट पत्थर के परिमार्जन के लिये एक नये ढंग का उद्योग प्रारम्भ किया गया है।

34. नियन्त्रित पदार्थों, विशेषतः औद्योगिक कच्चे पदार्थों, के वितरण के सम्बन्ध में जो शिकायतें होती रहती हैं, उनको दूर करने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे पदार्थों के वितरण का कार्य किसी एक व्यक्ति पर न छोड़ कर इसके लिये एक समिति बनादी जावे। औद्योगिक कच्चे पदार्थों एवं यन्त्र इत्यादि के आयात के लिये राज्य सरकार द्वारा जो आवश्यकता प्रमाण-पत्र (असेन्सियेलिटी सर्टिफिकेट) दिये जाते हैं, उसके लिये भी समिति बनाई जावेगी।

35. राज्य में वनों का विकास शनैः शनैः प्रगति पर है। वन विकास के अन्तर्गत गत वर्ष 720 हैक्टेर्स भूमि पर नये वन लगाये गये एवं 992 हैक्टेर्स भूमि में वनों का सुधार किया गया। राज्य में पशुओं के चारे की कमी को दूर करने के लिए भी हमारे वन काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। 422 हैक्टेर्स भूमि पर अच्छी घास की पैदावार के लिये चरागाह बनाये गये हैं। गत वर्ष दो लाख मन घास वन विभाग द्वारा इकट्ठा किया गया। कन्दरा-भूमि-सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत 17 हजार हैक्टेर्स भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। चम्बल-क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य सन्तोषजनक प्रगति पर है। इस क्षेत्र में गत वर्ष 2,410 हैक्टेर्स भूमि पर चरागाह व 280 हैक्टेर्स भूमि पर वृक्षारोपण किया गया तथा 1967-68 में 5,300 हैक्टेर्स भूमि पर चरागाह एव 80 हैक्टेर्स भूमि पर वृक्षारोपण करने की योजना है।

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

36. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की गति गत वर्ष भी उत्साहजनक रही। गत वर्ष राज्य सरकार ने 24 नये चिकित्सालय स्थापित किये। 3 नये मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं। अब तक 26 जिलों में से 21 जिलों में क्षयरोग की चिकित्सा एवं रोक-थाम की सुविधायें उपलब्ध कर दी गई हैं। मलेरिया उन्मूलन का कार्य कई क्षेत्रों में पूर्ण हो चुका है एवं राष्ट्रीय-रोहे-नियन्त्रण कार्यक्रम संतोषजनक प्रगति कर रहा है। राज्य में गत वर्ष 100 नये आयुर्वेदिक औषधालय भी स्थापित किये गये।

37. परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये कई प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन जनता परिवार नियोजन को शनैः शनैः ही स्वीकार कर रही है। गत वर्ष 15,019 लूप लगाये गये एवं 5,927 पुरुषों एवं 2,391 महिलाओं के आप्रेशन किये गये। इसके अतिरिक्त, बहुत बड़ी संख्या में निरोधक उपकरण एवं गोलियां इत्यादि वितरित की गई। परिवार-नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने एवं मार्गदर्शन के लिये प्रयास कर रही है। परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एक क्षेत्रीय परिवार-नियोजन प्रशिक्षण-केन्द्र अजमेर में प्रारम्भ किया गया है।

38. वर्ष 1966-67 में अनुसूचित जन-जाति के 12,000 छात्रों, अनुसूचित जाति के 20 हजार छात्रों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के 400 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के 500 से अधिक परिवारों को कृषि औजारों, गृह-निर्माण एवं ऊंट खरीदने इत्यादि के लिये सहायता दी गई। केन्द्रीय संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जन-जाति अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं घुमन्तु जाति के 2,700 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। 560 हरिजन परिवारों को भी गृह-निर्माण के लिये सहायता दी गई। विमुक्त जातियों के लिये 12 छात्रावास सरकार द्वारा वर्ष 1966-67 में चलाये गये एवं 170 परिवारों को पुनर्संस्थापन हेतु सहायता दी गई। इस वर्ष अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जातियों के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जावेगा, जिसमें राज्य सेवा में भर्ती हेतु उन्हें सक्षम बनाया जायेगा। अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण हेतु 4 नये आदिवासी विकास खण्ड खोले जायेंगे।

39. राज्य में श्रम स्थिति प्रायः सामान्य रही। श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने आलोच्य वर्ष में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने सार्वजनिक यातायात, पत्थर-तोड़ना, सड़क, चावल, दाल, आटा मिलें, अभ्रक की खानें एवं कारखानें, रुई की जिनिंग एवं प्रेसिंग फेक्ट्रीज तथा छापाखाने एवं तेल मिल आदि व्यवसायों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित किया। इसके फलस्वरूप कुशल, अर्द्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को क्रमशः 100, 80 तथा 60 रुपए, प्रति मास वेतन निश्चित किया गया। बोनस-अदायगी-अधिनियम, 1965, के अन्तर्गत 726 प्रतिष्ठानों के 84 प्रतिशत श्रमिकों को बोनस वितरित किया

(सरदार हुकमसिंह, राज्यपाल)

गया । राजकीय क्षेत्र में गंगानगर शूगर मिल्स लघु-उद्योग निगम तथा राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल ने 4 प्रतिशत बोनस देने की घोषणा की : राजस्थान राज्य-पथ परिवहन निगम ने भी 4 प्रतिशत एक्स-ग्रेशिया भुगतान किया । मंहगाई मे हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने माथुर समिति की सिफारिशों को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया तथा निजी क्षेत्रों में 50 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में तथा मोटर ट्रान्सपोर्ट संस्थानों में 20 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों में उक्त सिफारिशें लागू की गई : राजकीय क्षेत्रों में भी उक्त सिफारिशों को लागू किया गया ।

40. राज्य के 18 नियोजन कार्यालय पूर्ववत कार्य करते रहे । अजमेर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर नियोजन कार्यालयों में विशेष व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम भी जारी रखे गये । 1966-67 में 15,742 व्यक्तियों को नियोजन कार्यालयों के माध्यम से नोकरी दिलाई गई ।

41. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में रही। अपराधों की संख्या में गत वर्ष, 1965-66 की अपेक्षा तनिक वृद्धि हुई, लेकिन इसका मुख्य कारण सूखा व अनावृष्टि है । पुलिस के कुख्यात डाकू-गिरोहों से 11 बार मुठभेड़ें हुई जिनमें 3 डाकू मारे गये व 2 बन्दी बनाये गये । इन मुठभेड़ों में एक थानेदार, एक मुख्य आरक्षि व दो आरक्षि वीर गति को प्राप्त हुए । कई तस्कर व्यापारी पकड़े गये व उनसे लगभग 296 किलोग्राम अफीम बरामद की गई । मुनाफाखोरों, गैर-कानूनी तरीकों से अनाज-संग्रह करने वाले व्यापारियों एवं तस्करियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई । राज्य में 1,593 मुकदमें इस सम्बन्ध में दर्ज किये गये व 530 व्यक्तियों को विभिन्न खाद्य-कानूनों के प्रावधानों को भंग करने के अपराध में सजायें हुईं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा 18 मुकद्दमो में 23 दोषी कर्मचारियों को सजायें दिलाई गईं ।

42. हिन्दी को राज्य-कार्य में पूर्णरूपेण 26 जनवरी, 1968, तक प्रतिष्ठित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है । राज्य के प्रशासन कार्य में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोतर वृद्धि पर है । कुछ तकनिकी, वित्तीय तथा संवैधानिक मामलों को छोड़ कर अधिकतर विभागों में हिन्दीकरण के लिये निर्धारित लक्ष्य अधिकांशतः प्राप्त कर लिये गये हैं । कुछ मामलों में अनिवार्य रूप से हिन्दी के प्रयोग के आदेश जारी किये गये हैं । उदाहरणतः समस्त राजकीय पत्रों एवं आदेशों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर करने के आदेश 15 सितम्बर, 1966, से प्रभावशील हैं । केन्द्र के साथ भी राज्य के पत्र-व्यवहार को हिन्दी में करने की दिशा में प्रगति हुई है और यह निश्चय किया गया है कि हिन्दी पत्रों के साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजना आवश्यक नहीं होगा । यह निर्णय भी लिया गया है कि अखिल भारतीय एकरूपता की दृष्टि से समस्त राज्य कार्यों में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग हो । कुछ संवैधानिक एवं तकनिकी मामलों के सिवाय राज-पत्र में राजाज्ञायें केवल हिन्दी में ही प्रकाशित करने के आदेश दिये गये हैं ।

43. अल्प-बचत के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है । अल्प-बचत-कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने के लिये

Page No.35

विशेष प्रयत्न किये गये हैं। गत वित्तीय वर्ष में डाकघर बचत बैंकों में लगभग 1,72,000 नये खाते खुलवाये गये। यह संख्या पिछले पांच वर्षों में कुल मिला कर खोले गये खातों की संख्या से करीब ड्योढी है।

44. इस सत्र का मुख्य कार्य, जिसके लिये आपको आमन्त्रित किया गया है, वह इस वित्तीय वर्ष के लिये आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना तथा तत्सम्बन्धी कानून बनाना है। मुझे विश्वास है कि आय-व्ययक पर विचार विमर्ष करते समय आप इस बात को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देंगे कि राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु हम सभी कृत-संकल्प हैं। जनता की भावनाओं का आदर करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान (गायों के निर्यात पर प्रतिबन्ध) अध्यादेश, 1966, जारी किया था। इस सम्बन्ध में एक विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। राजस्थान सशस्त्र आरक्षि अधिनियम में संशोधन के हेतु एक अधिनियम जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में भी एक विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

45. गत एक वर्ष में हमारी सफलता एवं असफलताओं तथा आने वाले वर्ष में हमें क्या कुछ करना है, उसका एक लेखा-जोखा मैंने मोटे तौर पर आपके सामने रखा है मुझे विश्वास है कि राज्य की समस्याओं के समाधान हेतु आप जो भी विचार-विमर्श करेंगे वो लोक-कर्त्तव्य एवं जनहित की भावनाओं से परिपूर्ण होंगे। राज्य को बहुमुखी विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिये आपके सद्प्रयत्न सफल हों, यह मेरी कामना है।

जय-हिन्द।

शुद्धि पत्र

(कार्य विवरण दिनांक 4 मई, 1967)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	नीचे से 5	मान	मौन
5	7	रखाऊंभा	रखाउंगा
6	7	करे।	करें।
8	6	स्वभाविक	स्वाभाविक
10	नीचे से 9	मोटिव्स	मोटिव्ज़
10	,, 3	श्रौ	श्रौर
14	3	सदय	सदस्य
15	5	लोकतवव	लोकतन्त्र
17-18	शीर्षक	संवंध	संबंध
17	2	में	से
17	नीचे से 6	विशम्बरनाथ	बिशम्बरनाथ
18	14	मदन सह	मदनसिंह
19	1	विश्वम्भर	बिशम्बर
19	2	Order Sir,	Order, Sir.
20	14	सहम	सहमत
20	19	जुडिस	ज्युडिस
20	19	जुडिशियल	ज्युडिशियल
21	3	मालुम	मालूम
21	22	विश्वम्भर	बिशम्बर
22	1	प्रौसीजर	प्रोसीजर
22	नीचे से 13	श्राघात्	श्राघात
23	नीचे से 5	मौ	भी
24	9 श्रौर 15	शोक संतप्त	शोक-संतप्त
25	नीचे से 15	है	था
,,	,, 11	है	था
28	,, 14	उनका	उनको
,,	,, ,,	तीसरा	तीसरे
,,	,, ,,	मौका	मौके
,,	,, ,,	जिस	पर जिस
,,	,, 10	चहूवाण	चव्हाण
,,	,, ,,	,,	,,
,,	,, 3	जानें	जानते
29	1	विशम्बरनाथ	बिशम्बरनाथ
30	3	अध्मक्ष	अध्यक्ष
33	नीचे से 4	गवर्नमेंन्ट	गवर्नमेन्ट

1	2	3	4
36	11	वार	वार
36	20	संमवेदना	संवेदना
39	5	श्रद्धांजली	श्रद्धांजलि
41	22	यह	यह
42	5	कार्य-कुश ता	कार्य-कुशलता
43	12	कृषि-भूमि थी	कृषि-भूमि जिनके पास थी
46	11	महिनों	महीनों
47	19	दम	कदम
48	नीचे से 2	राज थान	राजस्थान
48	„	अन्तं जिला	अन्तर्जिला
49	7	मण्डियों से	मंडियों में
49	19	दिया गया है।	अधिकार दिया गया है।
50	12	जिनसे	जिससे
50	नीचे से 13	सर्वोच्य	सर्वोच्च
51	7	राजस्थान परियोजना	राजस्थान नहर परियोजना
53	4	अन्तर्गत करीब	अन्तर्गत गत वर्ष करीब
54	नीचे से 13	आरम्भ	प्रारम्भ
62	16	इन्ट्रूमेन्टेशन	इन्स्ट्रूमेन्टेशन
65	7	तबतक	अबतक
67	नीचे से 9	पुलिस के	पुलिस की
67	„ 4	296	297
70	„ 6	प्रावधान	समाधान
70	„ 3	यह	यही